रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 27 अप्रैल, 2024 ई० (वैशाख 07, 1946 शक संवत्) [संख्या 17

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	291–314	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	405–434	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	369–399	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

(गोपन)

अनुभाग-3

अधिसूचना

27 मार्च, 2024 ई0

सं0 I/529033/529037/2023-सी0एक्स0-3—चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश से पनकी, कानपुर नगर टर्मिनल तक पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा-3 की उपधारा (2) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी—

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
वाल्व स्टेशन-03, गाटा सं0-1775/1, ग्राम-वानपुर, तहसील-महरौनी, जिला-ललितपुर, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	गाटा संख्या-1774/1/2, बंजर भूमि।
पश्चिम में	1775/1 अराजी का शेष भाग पंखी देवी पत्नी भइयन।
उत्तर में	1780/1, गनपत, तनय, कल्लू आदि।
दक्षिण में	गाटा संख्या-1775/1, का रोप मार्ग एवं वानपुर से वार रोड।

आज्ञा से,
ए0 वी0 राजामौलि,
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No**. **I/529037/2023-CX-3**, dated March 27, 2024 for general information :

NOTIFICATION

March 27, 2024

No. I/529037/2023-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for supplying petroleum products, from Bina Refinery, Madhya Pradesh to Panki, Kanpur Nagar Terminal through Pipeline :

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.-

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Valve Station-03, Gata No. 1775/1, Village-Banpur, Tehsil-Mehrauni, District-Lalitpur, Uttar Pradesh.	
In East	Gata No. 1774/1/2, Bajar land.
In West	1775/1 Remaining part of Araji Pankhi Devi Wife Bhaiya.
In North	1780/1 Ganapta, Tanay, Kallu *etc*.
In South	Remaining part of Gata No. 1775/1 and Banpur to War Road.

By order,
A. V. RAJAMAULI,
Secretary.

28 मार्च, 2024 ई0

सं0 I/530002/530005/2023-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश से पनकी, कानपुर नगर टर्मिनल तक पाइपलाइन द्वारा डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा-3 की उपधारा (2) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी–

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
वाल्व स्टेशन-07, गाटा सं0-250, ग्राम-नुनवई, तहसील-उरई, जिला-जालौन, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	गाटा संख्या-242, चकमार्ग।
पश्चिम में	गाटा संख्या-251, नाली।
उत्तर में	गाटा संख्या-228, चकमार्ग।
दक्षिण में	गाटा संख्या-249।

आज्ञा से,
ए0 वी0 राजामौलि,
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No**. **I/530005/2023-CX-3**, dated March 28, 2024 for general information :

NOTIFICATION

March 28, 2024

No. **I/530005/2023-CX-3**–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for supplying diesel/Petrol, from Bina Refinery, Madhya Pradesh to Panki, Kanpur Nagar Terminal through Pipeline :

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Valve Station-07, Gata No. 250, Village-Nunbai, Tehsil-Orai, District-Jalaun, Uttar Pradesh.	
In East	Gata No. 242, Chakmarg.
In West	Gata No. 251, Drain.
In North	Gata No. 228, Chakmarg.
In South	Gata No. 249.

By order,
A. V. RAJAMAULI,
Secretary.

28 मार्च, 2024 ई0

सं0 I/531918/531919/2023-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश से पनकी, कानपुर नगर टर्मिनल तक पाइपलाइन द्वारा डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा-3 की उपधारा (2) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी–

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
वाल्व स्टेशन-09, गाटा सं0-489, ग्राम-सुरौला, तहसील-कालपी, जिला-जालौन, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	गाटा सं0-488, चकमार्ग।
पश्चिम में	गाटा सं0-489 का शेष भाग।
उत्तर में	गाटा सं0-425, वम्बा पटरी (पक्की सड़क बरही रोड़)।
दक्षिण में	गाटा सं0-489 का शेष भाग।

आज्ञा से,
ए0 वी0 राजामौलि,
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No**. **I/531919/2023-CX-3**, dated March 28, 2024 for general information :

NOTIFICATION

March 28, 2024

No. **I/531919/2023-CX-3**–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for supplying diesel/Petrol, from Bina Refinery, Madhya Pradesh to Panki, Kanpur Nagar Terminal through Pipeline :

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Valve Station-09, Gata No. 489, Village-Suraula, Tehsil-Kalpi, District-Jalaun, Uttar Pradesh.	
In East	Gata No. 488, Chakmarg.
In West	Remaining Part of Gata No. 489.
In North	Gata No. 425, Vamba Patri (Paved Road Barhi Road).
In South	Remaining Part of Gata No. 489.

By order,
A. V. RAJAMAULI,
Secretary.

गृह विभाग
[गोपन]

अनुभाग-3

अधिसूचना

31 जनवरी, 2024 ई0

सं0 30/2024-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग फूलपुर से हल्दिया पाइपलाइन तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन द्वारा सी0एन0जी0 स्टेशन को गैस की आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा-3 की उपधारा (2) में प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड

(घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी–

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
एस0वी0-08, ग्राम-नागनपुर, तहसील-सकलडीहा, जिला-चन्दौली, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	सड़क (पिच रोड)।
पश्चिम में	गाटा संख्या-158 शेष रकबा रविन्द्र।
उत्तर में	गाटा संख्या-158 शेष रकबा रविन्द्र।
दक्षिण में	गाटा संख्या-161 राधेश्याम इत्यादि।

आज्ञा से,
ए0 वी0 राजामौलि,
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No**. **30/2024-CX-3**, dated January 31, 2024 for general information :

NOTIFICATION

January 31, 2024

No. **30/2024-CX-3**–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying gas to CNG Station by natural gas pipelines from Phulpur to Haldia Pipeline :

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
S.V. -08, Village-Naganpur, Tehsil-Sakaldiha, District-Chandauli, Uttar Pradesh.	
In East	Road (Pitch Road).
In West	Partial part of Gata No. 158 Ravindra.
In North	Partial part of Gata No. 158 Ravindra.
In South	Gata No. 161, Radheshyam etc.

By order,
A. V. RAJAMAULI,
Secretary.

गृह विभाग
[गोपन]

अनुभाग-3

अधिसूचना

22 मार्च, 2024 ई0

सं0 I/526732/2024-सी0एक्स0-3—चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के ग्रिड को संयोजित करके, विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ एवं अबाध संचालन के लिये किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा-3 की उपधारा (2) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

पवर ग्रिड रामपुर सम्भल ट्रान्समिशन लि0 के 400/220/132 के0वी0 उपकेन्द्र, ग्राम और पोस्ट–पाठकपुर शदातबाडी, जिला-सम्भल, उत्तर प्रदेश।

पूर्व में	रास्ता गाटा संख्या–191
पश्चिम में	भूप सिंह आदि गाटा संख्या–194
उत्तर में	चन्द्र पाल आदि गाटा संख्या–196
दक्षिण में	रास्ता गाटा संख्या–240

आज्ञा से,
ए0 वी0 राजामौलि,
सचिव।

GOPAN ANUBHAG

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No**. I**/526732/526766/2024-CX-3**, dated March 22, 2024 for general information :

NOTIFICATION

March 22, 2024

No. I**/526766/2024-CX-3**–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for Strengthening and uninterrupted operation of the electricity supply by connecting it to the grid of the Western region of the State of Uttar Pradesh;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification No. S.O. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
400/220/132 KV Sub-Station of Power Grid Rampur Sambhal Transmission Limited, Village-and Posts-Pathakpur Shadatbari, District-Sambhal, Uttar Pradesh.	
In East	Road Gata No.-191
In West	Bhup Singh etc. Gata No.-194
In North	Chandrpal etc. Gata No. 196
In South	Road Gata No. 240

By order,
A. V. RAJAMAULI,
Secretary.

गृह विभाग
[गोपन]

अनुभाग-3

अधिसूचना

22 मार्च, 2024 ई0

सं0 I/526779/526784/2023-सी0एक्स0-3—चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग जे0 एच0 बी0 डी0 पी0 एल0 प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अधीन स्थापित सेक्शनलाइज्ड वाल्व स्टेशन-7 द्वारा गैस आपूर्ति के लिये किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा;

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा-3 की उपधारा (2) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

आ0 नं0–164 रकबा 0.3570 हे0 एस0 वी0 एस0–7, मौजा–भगवानपुर, परगना–महुआरी, तहसील–सकलडीहा, जिला-चन्दौली, उत्तर प्रदेश।

पूर्व में	चकरोड बादहू जमीन जगरदेव।
पश्चिम में	सराय–मथेला–नहर पक्का मार्ग।
उत्तर में	अराजी संख्या 164 का शेष भाग, कन्हैया की भूमि।
दक्षिण में	नाली बादहू जमीन चन्द्रभान।

आज्ञा से,
ए0 वी0 राजामौलि,
सचिव।

GOPAN ANUBHAG

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No**. I**/526779/526784/2023-CX-3**, dated March 22, 2024 for general information :

NOTIFICATION

March 22, 2024

No. I**/526784/2023-CX-3**–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying Gas by Established Sectionalised Valve Station-7 Under JHBDPL Pradhan Mantri Urja Ganga Project ;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Araji No. 164 Raqva 0.3570 He. S.V.S.-7 Mauza-Bhagwanpur, Pargana-Mahuari, Tehsil-Sakaldiha, District-Chandauli, Uttar Pradesh.	
In East	Chakroad Badhu Ind. Jagardev.
In West	Sarai-Mathela-Canal paved Road.
In North	Remaining part of Araji No. 164 Kanhaiyas land.
In South	Drain bahu land Chandrabhan.

By order,
A. V. RAJAMAULI,
Secretary.

गृह विभाग

[गोपन]

अनुभाग–3

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 1288/2023-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग पावरग्रिड 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र, जिला-बागपत से उत्तर प्रदेश के जिला-बागपत, शामली, बड़ौत, मोदीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र को विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है,

और चूँकि उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने सम्बन्धी सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

अतएव, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया नीचे दी गयी अधिसूचना सं0 740/2023-सी0एक्स0-3, दिनांक 26 जून, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्–

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्दिष्टियाँ	
पावरग्रिड कोर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र, ग्राम-ट्योढ़ी तहसील-बड़ौत, जिला-बागपत, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	कृषि भूमि खसरा नं0-45 व 49 (ग्राम-शिकोहपुरा)।
पश्चिम में	दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग।
उत्तर में	रास्ता, खसरा नं0-829 व कृषि भूमि खसरा नं0-828 ग्राम-ट्योढ़ी।
दक्षिण में	कृषि भूमि खसरा नं0-831 स्थित ग्राम-ट्योढ़ी, कृषि भूमि खसरा नं0-48 स्थित ग्राम-शिकोहपुर।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 1288/2023-CX-3,** dated November 23, 2023 for general Information.

Notification

November 23, 2023

No. 1288/2023-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for Power Transmission from powergrid 400/220 KV sub-station, District-Baghpat to districts Baghpat, Shamali, Baraut, Modipuram electric sub-station of Uttar Pradesh.

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers under sub-Clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 {Act No. XIX of 1923}, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to make the following Amendment in Notification No. 740/2023-CX-3, dated 26 June, 2023.

AMENDMENT

In the aforesaid Notification for the schedule, the following schedule shall be substituted, namely-

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Powergrid Corporation of India Limited. 400/220 KV, sub-station, Village-Teyodhi, Tehsil-Baraut, Distric-Bhagpat, Uttar Pradesh.	
In East	Agricultural Land khasra No. 45 and 49 (village-Sikohpur)
In West	Delhi Saharanpur National Highway.
In North	Rasta Khasra No. 829 and Agricultural Land Khasra No 828 (village-Teyodhi)
In South	Agricultural Land Khasara No. 831 in Teyodhi village. Agricultural Land Khasara No. 48 in Sikohpur village.

By order,
SANJAY PRASAD,
Principal Secretary.

नियोजन विभाग

अनुभाग–2

प्रोन्नति / तैनाती

29 अगस्त, 2023 ई0

सं0 I-377268 / पैंतीस-2-2023–श्री भोला राम, उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल, बरेली (वेतनबैण्ड–3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 / – पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11) को संयुक्त निदेशक (वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 7,600 / – पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर इन्हें प्रोन्नति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अर्थ एवं संख्या प्रभाग, मुख्यालय पर तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2– श्री भोला राम, उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल, बरेली द्वारा प्रभाग मुख्यालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इनके कार्यमुक्त होने के पश्चात श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बरेली को उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल, बरेली के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अग्रेतर आदेशों तक एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है।

सं0 I-377272 / पैंतीस-2-2023–श्री प्रवीण कुमार, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग मुख्यालय (वेतनबैण्ड–3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 / – पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11) को संयुक्त निदेशक (वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 7,600 / – पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर इन्हें प्रोन्नति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अर्थ एवं संख्या प्रभाग मुख्यालय पर तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2– श्री प्रवीण कुमार, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग मुख्यालय द्वारा प्रभाग मुख्यालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ उक्तानुसार प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभाग मुख्यालय में रिक्त हुए उप निदेशक के पद का भी अतिरिक्त कार्य देखा जायेगा।

सं0 I-377273 / पैंतीस-2-2023–डा0 शुऐब अहमद, उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज (वेतनबैण्ड–3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 / – पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11) को संयुक्त निदेशक (वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 7,600 / – पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-12) के पद पर विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर इन्हें प्रोन्नति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अर्थ एवं संख्या प्रभाग, मुख्यालय पर तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2– डा0 शुऐब अहमद, उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज द्वारा प्रभाग मुख्यालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इनके कार्यमुक्त होने के पश्चात श्री संतोष कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज को उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अग्रेतर आदेशों तक एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है।

04 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 I-380196 / पैंतीस-2-2023–डा0 दिव्या सरीन मेहरोत्रा, अपर निदेशक (वेतन बैण्ड-4, वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रु0 8,700 / – पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-13) को निदेशक (वेतन बैण्ड-4, वेतनमान

रु0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रु0 8,900/– पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-13क) के पद पर विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर इन्हें प्रोन्नति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त प्रोन्नति इस शर्त के अधीन है कि चयन समिति की संस्तुति के अनुसार पदोन्नति विभिन्न मा0 न्यायालय/मा0 अधिकरण के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
आलोक कुमार-III,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग–1

29 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 939/35-1-2023–राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत उ0प्र0 नियोजन शोध सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994 एवं उ0प्र0 नियोजन शोध सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 के प्राविधानानुसार निदेशक के पदोन्नति कोटे के रिक्त 02 पदों पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के आलोक में दिनांक 01 जनवरी, 2024 से रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष श्री बृजेश यादव, संयुक्त निदेशक को निदेशक के पद पर वेतनमान रु0-37,400-67,000, ग्रेड पे रु0-8,700/– लेवल-13 में एतदद्वारा नियमित रूप से प्रोन्नत कर नियुक्त करते हुए निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री यादव कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगें।

3– उक्त आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगा।

आज्ञा से,
आलोक कुमार-III,
प्रमुख सचिव।

पदोन्नति

04 जनवरी, 2024 ई0

सं0 02/35-1-2024–राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0 के अंतर्गत वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर कार्यरत डा0 अरूण कुमार यादव को वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति दिये जाने हेतु गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर चयन वर्ष 2018-19 में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष उनसे कनिष्ठ श्री शोभनाथ शुक्ल की पदोन्नति की तिथि दिनांक 26 फरवरी, 2019 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

औपबन्धिक तैनाती

03 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 I/398762/2023/86-01001(001)/1/2023—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अमित रंजन पुत्र श्री बसंत रंजन, निवासी-फ्लेट नं0-बी-1-406, हिमालय इनक्लेव, सेक्टर-17, वृंदावन योजना लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226029 को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी (वेतन बैण्ड-15,600-39,100 ग्रेड पे-5400 मैट्रिक्स लेवल-10-56,100-1,77,500) के पद पर औपबन्धिक रूप से निम्न शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—उक्त अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्राप्त होना प्रतीक्षित होने की स्थिति में "उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्वः सत्यापन या घोषणा-पत्र में यदि यह पाया जायेगा कि उक्त द्वारा कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

2—अभ्यर्थी के पूर्व से किसी सेवा में होने पर, उन्हें पूर्व नियोक्ता से कार्यमुक्त/त्याग-पत्र स्वीकृति सम्बन्धी आदेश-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3—अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू है, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत खान अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि रहेगी।

4—उ0प्र0 अस्थायी स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

5—इनकी सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होंगी।

6—इनको कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा जो भी अन्य भत्ते हो, देय होंगे।

7—अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी की तैनाती स्थान/जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

9—विभाग में अभ्यर्थियों की खान अधिकारियों के मध्य पारस्परिक ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

10—उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

(6) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में घोषणा।

(7) अपने कर्जदार होने/न होने की घोषणा।

(8) वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

आज्ञा से,
अनिल कुमार-III,
प्रमुख सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग–1

अस्थायी प्रोन्नति

27 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 1840/22-1-2023-17/2003-I–कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में निम्नलिखित कारापालों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त संस्तुति के आधार पर अधीक्षक कारागार वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400/– (यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

चयन वर्ष 2023-24

क्रमांक	नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	राम कुबेर सिंह	30
2	राजेन्द्र प्रताप चौधरी	52
3	राजेश कुमार राय	60
4	सतीश चन्द्र त्रिपाठी	62 (मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन)
5	आनन्द कुमार शुक्ला	63
6	आदित्य कुमार	64
7	सत्य प्रकाश	65
8	राजेश कुमार पाण्डेय-1	67

2–यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन है, तो प्रश्नगत पदोन्नति उक्त रिट याचिका/प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग

अनुभाग–2
सेवानिवृत्ति
06 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 I/382174/2023–स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज के निम्नलिखित अधिकारी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित दिनांक के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे–

क्रमांक	अधिकारी का नाम/पद नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त की तिथि
1	2	3	4
1	श्री कड़ेदीन, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, निदेशालय प्रयागराज	15.09.1963	30.09.2023

14 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 I/388081/2023–डा0 संजीव कुमार, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को अपने पद के साथ-साथ निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– डा0 संजीव कुमार केवल रूटीन कार्यों का ही निष्पादन करेंगे, कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे तथा उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय,
विशेष सचिव।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग–1
सेवानिवृत्ति
18 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 1088/81-1-2023–भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी तालिका के कालम-5 में उल्लिखित तिथि से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होगें–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री–			
1	विभाष रंजन	ADG (Wildlife) & Director Wildlife Preservation Govt. of India, Ministry of Environment Forest and Climate Change, Room No. J-504, 5th Floor, Jal Wing, Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003	05.01.1964	31.01.2024
2	अंजनी कुमार आचार्य	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ।	04.02.1964	29.02.2024
3	सत्य प्रकाश यादव	Additional Director of Project Tiger & Member Secretary (NTCA), Gov.of India, Ministry of Environment Forest and Climate Change, National Tiger (Conservation Authority, B-1 Wing, 7th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.	18.02.1964	29.02.2024
4	कैलाश प्रकाश	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी	01.03.1964	29.02.2024
5	गंगा प्रसाद	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, मेरठ वृत्त, मेरठ	10.03.1964	31.03.2024
6	अनुपम गुप्ता	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ	18.06.1964	30.06.2024
7	एस0के0 दूबे	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0, लखनऊ	30.06.1964	30.06.2024
8	अशोक कुमार	मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, उ0प्र0, लखनऊ	10.10.1964	31.10.2024
9	सुधीर कुमार शर्मा	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड आफ फारेस्ट फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ	10.11.1964	30.11.2024
10	संजय श्रीवास्तव	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ	24.11.1964	30.11.2024

आज्ञा से,
मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

21 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 1113/81-1-2023–प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-नि0व0सां0-30/10-2-6 (से0नि0), दिनांक 11 सितम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, निदेशक (वन सांख्यिकी) अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को सेवानिवृत्त होंगे।

आज्ञा से,
डॉ0 चन्द्र भूषण,
विशेष सचिव।

उद्यान विभाग

पदोन्नति / तैनाती

28 अगस्त, 2023 ई0

सं0 2081 / 58-2023-25 / 2020—डा0 अतुल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती को अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ के रिक्त पद पर वेतनमान रु0-1,23,100-2,15,900 (ग्रेड पे रु0-8,700, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0) लखनऊ के पद पर तैनात किये जाने की माननीया राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालय / मा0 अधिकरण के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं / निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

30 अगस्त, 2023 ई0

सं0 2102 / 58-2023-26 / 2023—उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत समूह 'क' संवर्ग में कार्यरत डॉ0 रवीन्द्र कुमार तोमर (जन्म तिथि 10 अगस्त, 1963), निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31 अगस्त, 2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

07 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 2166 / 58-2023-25 / 2020TC—डॉ0 रवीन्द्र कुमार तोमर, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 अगस्त, 2023 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित तैनाती होने तक के लिए श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है।

2—उक्त अतिरिक्त कार्यभार के लिए श्री अतुल कुमार सिंह को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य सम्पत्ति विभाग

अनुभाग—3

विज्ञप्ति

03 जनवरी, 2023 ई0

सं0 एम—4666 / बत्तीस-3-2022-36 / 2020टी0सी0—राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन "राज्य अतिथि गृह 'गोमती' विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ" का नाम परिवर्तित कर "अति विशिष्ट अतिथि गृह "गोमती विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ" किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
डा0 वी0 के0 सिंह,
विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप विभाग

अनुभाग–1

प्रोन्नति / तैनाती

13 जनवरी, 2023 ई0

सं0 I / 261616 / चौरासी-1-2023–श्री मुकेश कुमार, सहायक नियंत्रक ग्रेड-1, विधिक माप विज्ञान, अयोध्या सम्भाग, को नियमित चयनोपरान्त उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0-6,600 (सम्प्रति पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, अयोध्या जोन के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2– उक्त प्रोन्नति योगदान देने की तिथि से ही प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

राम विजय सिंह,
विशेष सचिव।

सहकारिता विभाग

अनुभाग–2

स्थायीकरण

27 जनवरी, 2023 ई0

सं0 158 / 49-2-23-30(7) / 2007–उ0प्र0 सहकारी सेवा नियमावली 1979 के नियम-24 एवं उ0प्र0 राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के नियम-4 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश के सीधी भर्ती संवर्ग के निम्नलिखित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग के पद पर एतद्द्वारा स्थायी किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्रमांक	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक का नाम	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक पद पर योगदान की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–		
1	स्वाति अग्रवाल	09.01.2020	08.01.2022
2	वैशाली सिंह	10.12.2020	09.12.2022
3	रजनीश प्रताप सिंह	09.12.2020	08.12.2022
4	इन्दू	01.12.2020	30.11.2022

आज्ञा से,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव।

श्रम विभाग

अनुभाग–6

सेवानिवृत्ति

20 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 1977/36-6-2023-3(39)/05–डा0 अवधेश कुमार, सहायक निदेशक, निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उ0प्र0, सर्वोदयनगर, कानपुर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 07 जुलाई, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध, निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएँ उ0प्र0 सर्वोदयनगर कानपुर के पत्रांक पी0एफ0-3900/2023/14177 दिनाक 14 जुलाई, 2023 एवं पत्रांक पी0एफ0 3900/2023/16229, दिनांक 04 अगस्त, 2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-862/छत्तीस-6-2017-5(171)/91 टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2017 में निहित व्यवस्था के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त डा0 अवधेश कुमार, सहायक निदेशक को कालम-5 में अंकित तिथि को सेवानिवृत्त किये जाने के श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं–

क्र0	नाम व पदनाम	तैनाती स्थल	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्त की तिथि
1	2	3	4	5
1	डा0 अवधेश कुमार, सहायक निदेशक	निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएँ उ0प्र0 सर्वोदयनगर कानपुर।	21.09.1963	30.09.2023 (60 वर्ष की आयु पर)

आज्ञा से,

कुणाल सिल्कू,
विशेष सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग–8

सेवानिवृत्ति

21 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 I/392591/एक-8-2023/रा0-8–चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-170/ई0-123/2018-19(से0नि0) दिनांक 06 सितम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उ0प्र0 चकबन्दी सेवा के निम्नलिखित बन्दोबस्त अधिकारीगण चकबन्दी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर तालिका के कॉलम-5 में उल्लिखित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	जनपद	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	ज्येष्ठता सूची दि0 11.11.2020 के अनुसार क्रमांक
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री–				
1	दूधनाथ पाण्डेय	मैनपुरी	27.03.1964	31.03.2024	04
2	दयानन्द सिंह चौहान	प्रतापगढ़	02.01.1964	31.01.2024	16
3	विनोद कुमार वर्मा	जौनपुर	07.01.1964	31.01.2024	28
4	अरूण कुमार सिंह (ब0अ0च0 के पद पर दि0 31.05.2023 को पदोन्नत)	चन्दौली	01.01.1964	31.12.2023	–

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव।

मत्स्य विभाग

14 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 38/2022/1125/सत्रह-म-2022/6-9(03)/2020—उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-253/नि0शा0/2022-23, दिनांक 28 जून, 2022, पत्र संख्या-280/नि0शा0/दिनांक 12 जुलाई, 2022, पत्र संख्या-320/नि0शा0/पी0एम0 एम0एस0वाई/2022-23, दिनांक 22 जुलाई, 2022 एवं पत्र संख्या-348/नि0शा0/2022-23, दिनांक 01 अगस्त, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की गाइड लाइन्स में आंशिक संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 08 अगस्त, 2022 निर्गत किया गया था।

2— अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश

जून, 2020 के क्रम में प्रदेश में प्रश्नगत योजना को लागू किये जाने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या 31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के प्रस्तर-3 के उपप्रस्तर-6.14 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या 36/2022/852/सत्रह-म-2022-6-9(03)/2020 दिनांक 08 अगस्त, 2022 द्वारा नवीन उप प्रस्तर-6.17 के रूप में 09 नवीन मापदण्ड/मानक निर्धारित किये गये थे।

3— इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-437/नि0शा0/पी0एम0एम0एस0वाई0/2022-23 दिनांक 21 सितम्बर, 2022 द्वारा पुनः संशोधन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 08 अगस्त, 2022 के प्रस्तर-3 के बिन्दु 6.17 (7) व बिन्दु 6.17(9) को एतदद्वारा निम्नवत संशोधित किया जाता है—

बिन्दु	पूर्व में लागू नियम	संशोधित नियम/मानदण्ड
1	2	3
6.17(7)	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत रु0 20.00 लाख अथवा इससे अधिक की परियोजनाओं हेतु परियोजना लागत की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि, बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत रु0 20.00 लाख या उससे कम की परियोजनाओं में बैंक से ऋण लेना अनिवार्य नहीं होगा। रु० 20.00 लाख से अधिक की लागत की परियोजनाओं में लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक ऋण लिया जाना अनिवार्य होगा।
6.17(9)	प्रश्नगत योजना के अन्य मापदण्डों पर एक से अधिक पात्र लाभार्थी मिलने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के सिद्वान्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रश्नगत योजना के मापदण्डों पर एक से अधिक पात्र लाभार्थी मिलने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष डिजिटल लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

4— अतः केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के प्रदेश में संचालन हेतु शासनादेश संख्या 31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश (गाइड लाइन्स) एवं शासनादेश संख्या 36/2022/852/सत्रह-म-2022-6-9(03)/2020 दिनांक 08 अगस्त, 2022 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं शेष प्राविधान तथा नियम/शर्ते यथावत रहेंगी।

5— उपरोक्त संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू अथवा प्रभावी माना जायेगा।

आज्ञा से,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—4 हिन्दी गजट—भाग 1—2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 अप्रैल, 2024 ई० (वैशाख 07, 1946 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ

[निषेधाज्ञा अन्तर्गत-धारा 144, दं0प्र0सं0]

19 मार्च, 2024 ई0

सं0 वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-07/2024/1003–दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर अयोध्या, दिनांक 25 जनवरी, 2024 को हजरत अली का जन्म दिवस, दिनांक 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस, दिनांक 14 फरवरी, 2024 को बसन्त पंचमी, दिनांक 24 फरवरी, 2024 को संत रविदास जयंती, दिनांक 26 फरवरी, 2024 को शबे बारात व दिनांक 08 मार्च, 2024 को महाशिवरात्रि आदि पर्व आयोजित होंगे, साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं, उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड के दृष्टिगत भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ–

1– विधानभवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा–

(क) लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

(ख) बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।

(ग) सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेलटी चौराहे तक।

(घ) नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक।

(ङ) बलिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।

(च) उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा-144 सी0आर0पी0सी0 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2– सरकारी दफ्तरों व विधान भवन के ऊपर व आसपास एक किमी0 परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3– लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु इकोगार्डन निर्धारित किया गया है।

4– कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथाआवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5– किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

6– मन्दिर/मस्जिद/गुरूद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा।

7– सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

8– कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे-तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

9– कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शांति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

10– कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

11– लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

12– सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

13– लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पतंग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति या सम्पत्ति का नुकसान हो।

14– लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

15– लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे-जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिश्नरेट में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जा सकेगी।

16– लखनऊ में यातायात पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ई-रिक्शा मालिकों एवं चालकों का सत्यापन निर्धारित प्रारूप में कराना अनिवार्य होगा।

17– लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे–परिचय-पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख, में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण-पत्र अंकित कराये

बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके, संचालित नहीं किया जायेगा।

18– परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।

19– कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित उ0प्र0 शासन व भारत सरकार द्वारा कोरोना-कर्फ्यू के सम्बन्ध में निर्गत गाइड लाइन का पूर्णतया पालन कराया जाय।

उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी।

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्तों लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक् सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 18 मार्च, 2024 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्तों व सहायक पुलिस आयुक्तों के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार-पत्रों मे प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक 19 जनवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

सं0 वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-07/2024/1003–दिनांक 12 मार्च, 2024 से प्रारम्भ हो चुके रमजान माह, दिनांक 25 मार्च, 2024 को होली, दिनांक 29 मार्च, 2024 को गुड फ्राइडे, दिनांक 02 अप्रैल, 2024 को शीतलाष्टमी, दिनांक 05 अप्रैल, 2024 को अलविदा की नमाज, दिनांक 09 अप्रैल, 2024 से चैत्र नवरात्रि प्रारम्भ, दिनांक 11/12 अप्रैल, 2024 को ईद-उल-फितर, दिनांक 14 अप्रैल, 2024 को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती, दिनांक 17 अप्रैल, 2024 रामनवमी, दिनांक 21 अप्रैल, 2024 महावीर जयन्ती व दिनांक 10 मई, 2024 को परशुराम जयन्ती आदि पर्व आयोजित होंगे, साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं, उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड के दृष्टिगत भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ–

1– विधानभवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा–

(क) लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

(ख) बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।

(ग) सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

(घ) नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक।

(ङ) बलिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।

(च) उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा-144 सी0आर0पी0सी0 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2– सरकारी दफ्तरों व विधान भवन के ऊपर व आसपास एक किमी0 परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3– लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु इकोगार्डन निर्धारित किया गया है।

4– कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथाआवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5– किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

6– मन्दिर/मस्जिद/गुरूद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा।

7– सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

8– कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे-तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

9– कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नही लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नही देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शांति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

10– कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

11– लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

12– सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

13– लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पतंग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति या सम्पत्ति का नुकसान हो।

14– लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

15– लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे-जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिश्नरेट में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये, मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जा सकेगी।

16– लखनऊ में यातायात पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ई-रिक्शा मालिकों एवं चालकों का सत्यापन निर्धारित प्रारूप में कराना अनिवार्य होगा।

17– लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे–परिचय-पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख, में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण-पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके, संचालित नहीं किया जायेगा।

18– परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।

19– कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित उ0प्र0 शासन व भारत सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में निर्गत गाइड लाइन का पूर्णतया पालन कराया जाय।

20– लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत सभी राजनैतिक पार्टियों तथा उक्त चुनाव से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध समस्त व्यक्तियों/कार्यकर्ताओं/संगठनों/संघो द्वारा आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी।

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्तों लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक् सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 17 मई, 2024 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने के साथ ही साथ आदेश आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जायेगा।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्तों व सहायक पुलिस आयुक्तों के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक 19 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

उपेन्द्र कुमार अग्रवाल,
संयुक्त पुलिस आयुक्त,
कानून एवं व्यवस्था,
लखनऊ।

मेरठ के आयुक्त की आज्ञायें

25 अगस्त, 2022 ई0

सं0 2878/आठ-50/2020-2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ की अधिसूचना सं0-688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6, 7 व 8 (क्रमशः खसरा संख्या/क्षेत्रफल/विवरण) में उल्लिखित ग्राम जैनुद्दीनपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की 0.1480 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र सं0-1736/सात-डी0एल0आर0सी0-पुर्न0/गा0बाद/2021 दिनांक 27 जुलाई, 2022 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि का मूल्य अंकन रु0 88,80,000.00, पूंजीकृत मूल्य 1110.00 सहित कूल मूल्याकंन रु0 88,81,110.00 एवं परिवर्तन शुल्क अंकन रु0 5,55,000.00 सहित कुल धनराशि रु0 94,36,110.00 रुपये (चौरानबे लाख छत्तीस हजार एक सौ दस रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम जैनुद्दीनपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 459-मि0/0.1270 हे0 (नवीन परती श्रेणी 5-1) व खसरा संख्या-245/0.0410 हे0 में से 0.0210 हे0 (बंजर श्रेणी 5-3-क) भूमि आरक्षित करने की शर्त के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को हस्तान्तरित करता हूँ—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुर्नग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	जैनुद्दीनपुर	जैनुद्दीनपुर	471	0.0270	नाली	दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्रीन फील्ड संरेखन हेतु
					476	0.0680	नाली	
					406	0.0340	नाली	
					413	0.0190	चकमार्ग	
				योग—	**04**	**0.1480**		

सुरेन्द्र सिंह,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

06 फरवरी, 2023 ई0

सं0 1031/आठ-05/2022-2024—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ की अधिसूचना सं0-688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम तुगलपुर, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर की 7.9510 हे0 सार्वजनिक

उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र सं0-1762/डीएल आरसी/2022-23 दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु पुर्नग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्य रु0 29,81,62,500.00 एवं पूंजीकृत मूल्य रु0 59,633.00 सहित कुल मूल्य रु0 29,82,22,133.00 (रु0 उनतीस करोड़ बयासी लाख, बाईस हजार, एक सौ तैंतीस मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित करने की शर्त के अधीन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित करती हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुर्नग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गौतमबुद्धनगर	सदर	दनकौर	तुगलपुर	तुगलपुर	सूची संलग्न हैं।	हेक्टेयर 7.9510	नाली, चकमार्ग, मुख्य मार्ग, व रास्ता	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु।

राजस्व ग्राम तुगलपुर, परगना दनकौर, तहसील सदर, जिला गौतमबुद्धनगर के पुर्नग्रहण प्रस्ताव की सूची (शासन आदेश संख्या-32/744/एफ-1/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8/2012) की धारा-59 उपधारा-2 से आच्छादित–

सूची

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	परगना	तहसील व जिले का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
1	तुगलपुर	दनकौर	तहसील सदर, जिला गौतमबुद्धनगर	386	0.3160	रास्ता
2				393	0.0550	नाली
3				394	0.1320	चकमार्ग
4				398	0.3410	चकमार्ग
5				400	0.0380	नाली
6				405	0.0150	नाली
7				407	0.1260	मुख्यमार्ग
8				410	0.0390	नाली
9				413	0.0380	नाली
10				416	0.0130	नाली
11				422	0.0250	नाली
12				424	0.1440	नाली

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
13	तुगलपुर	दनकौर	तहसील सदर, जिला गौतमबुद्धनगर	425	0.1620	मुख्यमार्ग
14				430	0.0290	नाली
15				433	0.0430	नाली
16				436	0.1700	चकमार्ग
17				437	0.8460	रास्ता
18				443	0.0160	चकमार्ग
19				446	0.0510	नाली
20				457	0.0400	नाली
21				460	0.1430	मुख्यमार्ग
22				464	0.0600	चकमार्ग
23				465	0.0460	नाली
24				470	0.3810	मुख्यमार्ग
25				473	0.0130	नाली
26				477	0.0070	नाली
27				481	0.0130	नाली
28				482	0.0470	नाली
29				488	0.0850	चकमार्ग
30				489	0.0420	नाली
31				495	0.0230	चकमार्ग
32				496	0.0290	नाली
33				501	0.1450	चकमार्ग
34				503	0.0210	नाली
35				506	0.0440	नाली
36				510	0.0670	नाली
37				515	0.3450	मुख्यमार्ग
38				520	0.0610	चकमार्ग
39				521	0.0340	नाली
40				524	0.0350	नाली
41				530	0.1190	चकमार्ग
42				537	0.0690	नाली
43				542	0.1420	मुख्यमार्ग
44				543	0.0660	नाली
45				549	0.1260	चकमार्ग

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
46	तुगलपुर	दनकौर	तहसील सदर, जिला गौतमबुद्धनगर	554	0.0630	चकमार्ग
47				558	0.7780	मुख्यमार्ग
48				570	0.3400	चकमार्ग
49				573	0.0850	नाली
50				575	0.0290	नाली
51				579	0.0790	चकमार्ग
52				585	0.0610	नाली
53				586	0.0720	चकमार्ग
54				588	0.0230	नाली
55				591	0.1000	चकमार्ग
56				592	0.0250	चकमार्ग
57				594	0.2860	मुख्यमार्ग
58				599	0.0630	चकमार्ग
59				603	0.0760	चकमार्ग
60				604	0.0800	नाली
61				614	0.0540	नाली
62				617	0.4020	मुख्यमार्ग
63				618	0.0690	नाली
64				622	0.0260	नाली
65				627	0.0380	चकमार्ग
66				633	0.0380	चकमार्ग
67				634	0.0300	चकमार्ग
68				635	0.0170	नाली
69				642	0.1010	चकमार्ग
70				643	0.0550	नाली
71				647	0.1000	चकमार्ग
72				650	0.0190	नाली
73				655	0.0190	नाली
74				660	0.0210	नाली
				योग ...	**7.9510**	

25 मार्च, 2023 ई0

सं0 1317/आठ-09/2022-2024—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ की अधिसूचना सं0-688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पतवाड़ी, तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर की 12.817 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र सं0-1851/डी0एल0आर0सी0/2022-23 दिनांक 19 जनवरी, 2023 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु पुर्नग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्य रु0 48,06,37,500.00 एवं पूंजीकृत मूल्य रु0 96,12.50 सहित कुल मूल्य रु0 48,07,33,627.50 (रु0 अड़तालिस करोड़ सात लाख तैंतीस हजार छः सौ सत्ताईस रु0 पचास पैसे मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित करने की शर्त के अधीन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित करती हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुर्नग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	पतवाड़ी	सूची संलग्न हैं।	12.817	ग्राम सभा, नवीन परती, बंजर	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु।

राजस्व ग्राम पतवाडी, परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर के पुर्नग्रहण प्रस्ताव की सूची (शासन आदेश संख्या-32/744/एफ-1/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8/2012) की धारा-59 उपधारा-2 के खण्ड (दो) (पाँच) व (छः) से आच्छादित—

सूची

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	परगना व तहसील	जिले का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी 41, 45 के अनुसार	विवरण
1	2	3	4	5	6		7
					हेक्टेयर		
1	पतवाडी	दादरी	गौतमबुद्धनगर	84	0.5960	श्रेणी-3 जो	ग्राम सभा
2				94	0.6400	श्रेणी-3	ग्राम सभा
3				116	0.3560	श्रेणी-3	ग्राम सभा

1	2	3	4	5	6		7
					हेक्टेयर		
4	पतवाडी	दादरी	गौतमबुद्धनगर	164	0.7560	श्रेणी-3	ग्राम सभा
5				175	0.5150	श्रेणी-3	ग्राम सभा
6				176	0.8220	श्रेणी-3	ग्राम सभा
7				178	1.4590	श्रेणी-3	ग्राम सभा
8				180	0.8510	श्रेणी-3	ग्राम सभा
9				181	0.4220	श्रेणी-4ख	ग्राम सभा
10				187	0.7210	श्रेणी-3	ग्राम सभा
11				228	0.3040	श्रेणी-1	ग्राम सभा
12				229	0.2310	श्रेणी-3	ग्राम सभा
13				233	0.0760	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
14				287	0.8350	श्रेणी-5(1)	बंजर
15				310	0.5540	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
16				393	0.0860	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
17				401	0.0250	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
18				526	0.0130	श्रेणी-5(1)	बंजर
19				530	0.1260	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
20				561	0.0570	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
21				583	0.3970	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
22				589	0.2930	श्रेणी-3	ग्राम सभा
23				697	0.1640	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
24				720	0.1400	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
25				758	0.7730	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
26				978	0.2770	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
27				1084	0.0670	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
28				1086	0.1170	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
29				1107	0.3040	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
30				1143	0.1450	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
31				1148	0.3900	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
32				366 / 1357	0.2040	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
33				1178 / 1359	0.1010	श्रेणी-5(1)	नवीन परती
				योग ...	**12.817**		

21 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 1519/आठ-13/2022-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ, जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्रांक-2085/सात-डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/गा0बाद/2023 दिनांक 31 जनवरी, 2023 एवं पत्रांक-2218/सात-डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/गा0बाद/2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची-क में उल्लिखित ग्राम नंगोला अमीपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की ग्रामसभा 0.1377 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेती हूँ तथा उक्त भूमि पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेंट कोरिडोर परियोजना हेतु प्रतिकर की धनराशि रु0 48,19,500.00 (रुपये अड़तालीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेंट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 मेरठ की अनुसूची-ख में उल्लिखित ग्राम नंगोला अमीपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित 0.1377 हे0 भूमि का विनिमय कर ग्राम सभा ग्राम नंगोला अमीपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने की शर्त के अधीन पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेंट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, मेरठ के पक्ष में हस्तान्तरित करती हूँ।

अनुसूची—क

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजन, जिसके लिए भूमि विनिमय की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	नंगोला अमीपुर	नंगोला अमीपुर	300	8	0.0918	पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेंट कोरिडोर परियोजना हेतु
					292	7	0.0459	
						योग ...	**0.0275**	

अनुसूची—ख

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय के उपरान्त ग्राम सभा के नाम दर्ज करने हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	नंगोला अमीपुर	नंगोला अमीपुर	84	06	0.0432	ग्रामसभा, ग्राम नंगोला अमीपुर परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु
					72	09	0.0216	
					193	10	0.0207	
					143	12	0.0522	
						योग ...	**0.1377**	

20 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 2565/आठ-61/2022-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या-18/2023/734/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ, जिलाधिकारी हापुड़ के पत्रांक-1203/सात-डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 14 अगस्त, 2023 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची-क में उल्लिखित ग्राम अच्छेजा, परगना, तहसील व जिला हापुड़ की ग्रामसभा के खाता संख्या 365, खसरा संख्या 695/0.026 हे0 में से 0.0171 हे0, खसरा संख्या 673/0.080 हे0 (पूर्ण भाग), खसरा संख्या 785/0.066 हे0 (पूर्ण भाग), खसरा संख्या 773/0.0710 हे0 (पूर्ण भाग), खसरा संख्या 671/0.007 हे0 (पूर्ण भाग), खसरा संख्या 693 मि0/0.027 हे0 (पूर्ण भाग), कुल 6 किता रकबा 0.2681 हे0 (चकमार्ग-श्रेणी 6-2 अकृषिक भूमि) तथा खाता संख्या 363 खसरा संख्या 784/0.0290 हे0 (पूर्ण भाग), (नाली-श्रेणी 6-2) सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेती हूँ तथा उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष मैरिनो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट-2 अच्छेजा, हापुड की अनुसूची-ख में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अच्छेजा, परगना, तहसील व जिला हापुड़ के खसरा संख्या 789 रकबा 0.0535 हे0, खसरा संख्या 664मि0 रकबा 0.0209 हे0, खसरा संख्या 774 रकबा 0.2524 हे0 भूमि से विनिमय कर ग्राम सभा ग्राम अच्छेजा, परगना, तहसील व जिला हापुड़ के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने की शर्त के अधीन मैरिनो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट-2 अच्छेजा, हापुड़ के पक्ष में इस अभ्युक्ति के साथ हस्तान्तरित करती हूँ कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व जिलाधिकारी हापुड़ का होगा।

अनुसूची—क

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिए भूमि विनिमय की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
हापुड़	हापुड़	हापुड़	अच्छैजा	अच्छैजा	695 (चकमार्ग)	0.0171	मैरिनो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट-2 अच्छेजा, दिल्ली रोड, जिला हापुड
					673 (चकमार्ग)	0.0800	
					785 (चकमार्ग)	0.0660	
					773 (चकमार्ग)	0.0710	
					671 (चकमार्ग)	0.0070	
					693मि0 (चकमार्ग)	0.0270	
					784 (नाली)	0.0290	
					योग ...	**0.2971**	

अनुसूची–ख

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिए भूमि विनिमय की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
हापुड़	हापुड़	हापुड़	अच्छैजा	अच्छैजा	789 664मि0 774	हेक्टेयर 0.0535 0.0209 0.2524	ग्राम सभा ग्राम अच्छैजा, तहसील व जनपद हापुड़ के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु
					योग ...	**0.3268**	

सं0 2566/आठ-62/2022-24–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या-18/2023/734/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ, जिलाधिकारी हापुड़ के पत्रांक-1204/सात-डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 14 अगस्त, 2023 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची-क में उल्लिखित ग्राम छिजारसी कुलीचनगर, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ की ग्रामसभा के खसरा संख्या-551, रकबा 0.0200 (चकमार्ग), खसरा संख्या-531, रकबा 0.0480 (नाली) सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेती हूँ तथा उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष मैसर्स ग्रीन स्पेस वेयरहाउसिंग एल0एल0पी0 पंजीकृत कार्यालय एफ0एफ0 17, कोणार्क बिल्डिंग आर0डी0सी0 गाजियाबाद की अनुसूची-ख में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम छिजारसी कुलीचनगर, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ के खसरा संख्या 548मि0 रकबा 0.0090 हे0, खसरा संख्या-550ख, रकबा 0.011 हे0, खसरा संख्या-526, रकबा 0.0285 हे0 एवं खसरा संख्या-527मि0 रकबा 0.0275 हे0, भूमि से विनिमय कर ग्राम सभा ग्राम छिजारसी कुलीचनगर, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने की शर्त के अधीन मैसर्स ग्रीन स्पेस वेयरहाउसिंग एल0एल0पी0 पंजीकृत कार्यालय एफ0एफ0 17, कोणार्क बिल्डिंग आर0डी0सी0 गाजियाबाद के पक्ष में इस अभ्युक्ति के साथ हस्तान्तरित करती हूँ कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व जिलाधिकारी हापुड़ का होगा।

अनुसूची–क

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिए भूमि विनिमय की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
हापुड़	धौलाना	डासना	छिजारसी कुलीचनगर	छिजारसी कुलीचनगर	551 531	हेक्टेयर 0.0200 (चकमार्ग) 0.0480 (नाली)	मैसर्स ग्रीन स्पेस वेयरहाउसिंग एल0एल0पी0 पंजीकृत कार्यालय एफ0एफ0 17, कोणार्क बिल्डिंग आर0डी0सी0 गाजियाबाद
					योग ...	**0.0680**	

अनुसूची–ख

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा संख्या	रकबा	विनिमय के उपरान्त ग्राम सभा के नाम दर्ज करने हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
हापुड़	धौलाना	डासना	छिजारसी कुलीचनगर	छिजारसी कुलीचनगर	548मि0	0.0090	ग्राम सभा ग्राम छिजारसी कुलीचनगर, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु
					550ख	0.011	
					526	0.0285	
					527	0.0275	
					योग ...	**0.0760**	

22 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 2585/आठ-69/2022-2024–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ की अधिसूचना सं0-688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम कन्दौला, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ की 2.1187 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी हापुड़ के पत्र सं0-1210/सात-डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित तहसील धौलाना में ग्राम न्यायालय की स्थायी स्थापना हेतु पुर्नग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्य रु0 1,97,03,910.00 एवं पूंजीकृत मूल्य रु0 33,267.82 सहित कुल मूल्य रु0 1,97,37,177.82 (रुपये एक करोड़ सतानवे लाख सैंतीस हजार एक सौ सतत्तर रुपये बयासी पैसे मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित करने की शर्त के अधीन ग्राम न्यायालय, धौलाना, हापुड़ के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारी हापुड़ को हस्तान्तरित करती हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुर्नग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
हापुड़	धौलाना	डासना	कन्दौला	कन्दौला	23	0.4607	श्रेणी 6-4 ऊसर	ग्राम न्यायालय धौलाना की स्थापना हेतु
					124	0.6300		
					131मि0	0.4760		
					254	0.5520		
					योग ...	**2.1187**		

सं0 2586/आठ-54/2022-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या-18/2023/734/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-101 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ, जिलाधिकारी पत्र-संख्या-272/सात-डी0एल0 आर0सी0/2023, दिनांक 23 अगस्त, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं पत्र-संख्या-309/सात-डी0एल0 आर0सी0/2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या/संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची-क में उल्लिखित ग्राम मीतली, तहसील व जिला बागपत की ग्राम सभा के खसरा संख्या-705, रकबा 0.0900 हे0 (नाली), खसरा संख्या-706, रकबा 0.0980 (चकमार्ग), खसरा संख्या-716, रकबा 0.0200 हे0 (नाली), खंसरा संख्या-726, रकबा 0.0195 हे0 (नाली), खसरा संख्या-720, रकबा 0.0194 हे0 (चकमार्ग), खसरा संख्या-712, रकबा 0.0020 हे0 (चकमार्ग) एवं ग्राम जवाहरपुर मेवला, तहसील व जिला बागपत की ग्राम सभा के खसरा संख्या-476, रकबा 0.1200 हे0 (चकमार्ग, खसरा संख्या-487, रकबा 0.0210 (चकमार्ग), खसरा संख्या-488, रकबा 0.0110 हे0 (नाली), सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेती हूँ तथा उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष मैसर्स बनासकंठा जिला सहकारी दूध उत्पाद संघ लि0 पालनपुर की अनुसूची-ख में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम मीतली, तहसील व जिला बागपत के खसरा संख्या-708/0.1941 हे0, खसरा संख्या-709/0.0320 हे0, खसरा संख्या-713/0.0064, खसरा संख्या-714/0.0100 हे0, खसरा संख्या-734/0.0064 हे0 एवं ग्राम जवाहरपुर मेवला, तहसील व जिला बागपत के खसरा संख्या-477/0.0130 हे0, खसरा संख्या-478/0.0241 हे0, खसरा संख्या-479/0.0186 हे0, खसरा संख्या-481/0.0254 हे0, खसरा संख्या-482/0.0118 हे0, खसरा संख्या-483/0.0118 हे0, खसरा संख्या-489/0.0194 हे0, खसरा संख्या-495/0.0169 हे0, खसरा संख्या-496/0.0110 हे0 भूमि से विनिमय कर ग्राम सभा ग्राम मीतली व जवाहरपुर मेवला, तहसील व जिला बागपत के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने की शर्त के अधीन मैसर्स बनासकंठा जिला सहकारी दूध उत्पाद संघ लि0 पालनपुर के पक्ष में इस अभ्युक्ति के साथ हस्तान्तरित करती हूँ कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व जिलाधिकारी बागपत का होगा।

अनुसूची—क

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिए भूमि विनिमय की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	8	9
						हेक्टेयर	
बागपत	बागपत	बागपत	मीतली	मीतली	705	0.0900 नाली 6-1	मैसर्स बनासकंठा जिला सहकारी दूध उत्पाद संघ लि0 पालनपुर हेतु।
					706	0.0980 चकमार्ग 6-2	
					716	0.0200 नाली 6-1	
					726	0.0195 नाली 6-1	
					720	0.0194 चकमार्ग 6-2	
					712	0.0020 चकमार्ग 6-2	
					योग ...	**0.2489**	
			जवाहरपुर मेवला	जवाहरपुर मेवला	476	0.1200 श्रेणी 6-2	
					487	0.0210 श्रेणी 6-2	
					488	0.0110 श्रेणी 6-1	
					योग ...	**0.1520**	

अनुसूची-ख

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा संख्या	रकबा	विनिमय के उपरान्त ग्राम सभा के नाम दर्ज करने हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
बागपत	बागपत	बागपत	मीतली	मीतली	708	0.1941 (सं0भू0)	ग्राम सभा, ग्राम मीतली व जवाहरपुर मेवला, तहसील व जिला बागपत के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु।
					709	0.0320 (सं0भू0)	
					713	0.0064 (सं0भू0)	
					714	0.0100 (सं0भू0)	
					734	0.0064 (सं0भू0)	
					योग ...	**0.2489**	
बागपत	बागपत	बागपत	जवाहरपुर मेवला	जवाहरपुर मेवला	477	0.0130 (श्रेणी 1क)	
					478	0.0241 (श्रेणी 1क)	
					479	0.0186 (श्रेणी 1क)	
					481	0.0254 (श्रेणी 1क)	
					482	0.0118 (श्रेणी 1क)	
					483	0.0118 (श्रेणी 1क)	
					489	0.0194 (श्रेणी 1क)	
					495	0.0169 (श्रेणी 1क)	
					496	0.0110 (श्रेणी 1क)	
					योग ...	**0.1520**	

13 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 89/आठ-63/2022-2024—जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र-संख्या-207/सात-डी0एल0आर0सी0-गाजि0/2023, दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 द्वारा ग्राम महरौली, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद की नाल नहर के खसरा नम्बर-241 रकबा 0.0760 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-273 रकबा 0.1140 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 578मि0 रकबा 0.0130 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.0510 व नाली टैयूवल के खसरा नम्बर 574मि0 रकबा 0.0310 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 575मि0 रकबा 0.0080 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 661मि0 रकबा 0.0140 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 662मि0 रकबा 0.0210 हेक्टेयर, खसरा संख्या-665मि0 रकबा 0.0040 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 773मि0 रकबा 0.0020 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 774मि0 रकबई 0.0110 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 795 रकबई 0.0140 हेक्टेयर व रास्ता के खसरा नम्बर 270/1मि0 रकबा 0.1390 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 270/2मि0 रकबा 0.1140 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 270/3मि0 रकबा 0.1265 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 270/3मि0 रकबा 0.0125 हेक्टेयर अर्थात 16 किते कुल रकबा 0.7510 हेक्टेयर भूमि से विकासकर्ता लैण्डक्राफ्ट डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित की जा रही गोल्फ लिंक इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की निजी भूमि स्थित ग्राम महरौली खसरा नम्बर 216 रकबा 0.0630 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-215 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.3670 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 208मि0, रकबा 0.2020 हे0 में से रकबा 0.1310 हेक्टेयर अर्थात कुल 04 गाटे कुल 0.7510 हेक्टेयर भूमि के विनिमय की संस्तुति करते हुए उ0प्र0 राजस्व सहिंता-2006 की धारा-101 के अन्तगर्त विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) सपठित धारा-101 की उपधारा (2) के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके विकासकर्ता लैण्डक्राफ्ट डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित की जा रही गोल्फ लिंक इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की भूमि के मध्य आ रही ग्राम महरौली, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के नाल नहर के खसरा नम्बर-241 रकबा 0.0760 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-273 रकबा 0.1140 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-578मि0 रकबा 0.0130 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-588 रकबा 0.0510 व नाली टैयूवल के खसरा नम्बर-574मि0 रकबा 0.0310 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-575मि0 रकबा 0.0080 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-661मि0 रकबा 0.0140 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-662मि0 रकबा 0.0210 हेक्टेयर, 665मि0 रकबा 0.0040 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-773मि0 रकबा 0.0020 हेक्टेयर व खसरा नम्बर-774मि0 रकबई 0.0110 हेक्टेयर व खसरा नम्बर-795 रकबई 0.0140 हेक्टेयर व रास्ता के खसरा नम्बर-270/1मि0 रकबा 0.1390 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-270/2मि0 रकबा 0.1140 हेक्टेयर व खसरा नम्बर-270/3मि0 रकबा 0.1265 हेक्टेयर व खसरा नम्बर-270/3मि0 रकबा 0.0125 हेक्टेयर अर्थात कुल 16 किते, कुल रकबा 0.7510 हेक्टेयर का विनिमय ग्राम महरौली, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित विकासकर्ता लैण्डक्राफ्ट डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित की जा रही गोल्फ लिंक इन्टीग्रेटेड टाउनशिप/संस्था की भूमि खसरा नम्बर-216 रकबा 0.0630 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-215 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, खसरा नम्बर-207 रकबा 0.3670 हेक्टेयर व खसरा नम्बर-208मि0, रकबा 0.2020 हे0 में से रकबा 0.1310 हेक्टेयर अर्थात कुल 04 गाटे कुल 0.7510 हेक्टेयर (सं0भू0 श्रेणी 1क), जिसका मूल्य रुपये 5,52,73,600.00 है, के विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है–

1– उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2– जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा विकासकर्ता लैण्डक्राफ्ट डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित की जा रही गोल्फ लिंक इन्टीग्रेटेड टाउनशिप से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3– उप जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि कुल रकबा 0.7510 हे0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।

4– विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय मे प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेगें।

5– आवेदक संस्था की भूमि के मध्य आने वाली नाल नहर, रास्ता एवं नाली टैयूवल जिसका विनिमय प्रस्तावित किया गया है उन नाल नहर, रास्ता एवं नाली टैयूवल का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित नाल नहर, रास्ता एवं नाली टैयूबल की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नही होगी।

6– विकासकर्ता द्वारा अपने प्रस्ताव में वर्तमान में खसरा नम्बर-269 से जोड़कर अपनी बाउण्ड्री के लगते हुए 09 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा जायेगा, जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 18 मीटर चौड़े जोनल रोड से जुड़ते या जुड़ेगें। विकासकर्ता द्वारा विनिमय में उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि वर्तमान में टाउनशिप के किनारे छोड़े गये 09 मीटर चौड़े सम्पर्क मार्ग एवं भविष्य में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 18 मीटर चौड़े जोनल रोड़ पर स्थित रहेगी।

7– लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

8– जिलाधिकारी गाजियाबाद कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

16 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 101/आठ-80/2022-2024–जिलाधिकारी हापुड़ के पत्रांक-1272/सात-डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 की ग्राम गिरौनी, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ के खसरा संख्या-24/2, रकबा 0.0630 हे0 (नाली) पूर्ण भाग भूमि से रामा एजुकेशनल, सोसायटी, कानपुर की निजी भूमि स्थित ग्राम हिण्डालपुर, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ के खसरा संख्या 103, कुल रकबा 2.2040 हे0 में से रकबा 0.1220 हे0 भूमि के विनिमय की संस्तुति करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी हापुड़ के पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण मण्डलायुक्त के कार्यालय आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा गठित समिति से कराया गया। जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा(2) सपठित धारा-101 की उपधारा(2) के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके रामा एजुकेशनल, सोसायटी, कानपुर की निजी भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा की भूमि स्थित ग्राम गिरौनी, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ के खसरा संख्या-24/2, रकबा 0.0630 हे0 (नाली) का विनिमय रामा एजुकेशनल, सोसायटी, कानपुर की निजी भूमि स्थित ग्राम हिण्डालपुर के खसरा संख्या-103, कुल रकबा 2.2040 हे0 में से रकबा 0.1220 हे0 भूमि, जिसका मूल्य ,अंकन रुपये 42,70,000.00 है, के विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1- उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2– जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा रामा एजुकेशनल, सोसायटी, कानपुर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3– उप जिलाधिकारी धौलाना द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि रकबा 0.1220 हे0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।

4– विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय मे प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी धौलाना द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेगें।

5– आवेदक संस्था की भूमि के मध्य आने वाली नाली (रकबा 0.0630 हे0) भूमि स्थित ग्राम गिरौनी का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित नाली की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नही होगी।

6– लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

7– जिलाधिकारी हापुड़ कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

17 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 129/आठ-25/2022-2024—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-77 तथा शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश संख्या-18/2023/734/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक-839/सात-डी0एल0आर0सी0/2023 दिनांक 04 मई, 2023 में किये गये अनुरोध एवं पत्र-संख्या-976/सात-डी0एल0आर0सी0/2023 दिनांक 14 जून, 2023 एवं पत्र संख्या-1341/सात-डी0एल0आर0सी0/2023 दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची-क में उल्लिखित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर, तहसील सरधना, जिला मेरठ की ग्रामसभा की 1.9910 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उसका पुर्नग्रहण करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/2021/103 एन0सी0आर0/आठ-2-21-2एनसी आर/2020, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के क्रम में निर्गत राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र-संख्या-1034/एक-1-2022-रा0-1 दिनांक 05 जनवरी, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार 01.00 रुपये वार्षिक दर से 99 वर्ष के पट्टे पर दिये जाने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष अनुसूची ख में उल्लिखित ग्राम सभा सिवाया जमाउल्लापुर एंव ग्राम सभा बपरसा, तहसील सरधना, जिला मेरठ की ग्राम सभा की सामान्य श्रेणी की कुल 1.9910 हे0 भूमि का विनिमय कर ग्राम सभा ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर, तहसील सरधना, जिला मेरठ के नाम के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने की शर्त के अधीन आवास एवं शहरी विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाता है।

अनुसूची-क

(पुर्नग्रहीत की जाने वाली भूमि का विवरण, जिसे शासनादेश दिनांक 05 जनवरी, 2023 में दिये गये निर्देशानुसार रुपये 01.00 वार्षिक वार्षिक दर से 99 वर्ष के पट्टे पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना है)

जिला	तहसील	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा संख्या	रकबा	श्रेणी	विनिमय हेतु प्रस्तावित रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		हेक्टेयर
मेरठ	सरधना	सिवाया जमाउल्लापुर	सिवाया जमाउल्लापुर	326/1	0.1640	खलियान	0.8030 हे0 में
				326/2	0.0760		से 0.3311 हे0
				326/3	0.1140		
				326/4	0.1260		
				326/5	0.1390		
				326/6	0.0890		
				326/7	0.0510		
				326/8	0.0440		
				458/1	0.1640	पशुचर भूमि	0.1640
				458/2	0.1640		0.1640
				458/3	0.1640		0.1640

1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		हेक्टेयर
मेरठ	सरधना	सिवाया जमाउल्लापुर	सिवाया जमाउल्लापुर	466/4	0.1390	पशुचर भूमि	0.1390
				466/5	0.0630		0.0630
				466/6	0.1520		0.1520
				431	0.1900	रास्ता	0.1900
				430	0.0130		0.0130
				609	0.0510		0.0131
				333	0.0630	नाली	0.0630
				394	0.0760		0.0760
				398	0.0250		0.0250
				407	0.0190		0.0190
				424	0.0760		0.0760
				450	0.0130		0.0130
				457	0.0130		0.0130
				469	0.0890		0.0890
				481	0.0760		0.0760
				610	0.1260		0.0338
				413	0.1140	बंजर पेड लगाने हेतु	0.1140
						योग ...	1.9910

अनुसूची-ख

(विनियम की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला	तहसील	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा संख्या	रकबा	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
मेरठ	सरधना	सिवाया जमाउल्लापुर	सिवाया जमाउल्लापुर	1061/1	0.0890	नई परती
				1061/3	0.0650	नई परती
				927	0.0380	बंजर
				983	0.0760	बंजर
				1151मि0	0.0130	बंजर
				1023	0.0250	बंजर
				1145खमि0	0.0570 में से 0.0251	कल्लर
				1084मि0	0.0750	कल्लर
				1106मि0	0.0250	कल्लर
				1109मि0	0.1010	कल्लर
				1145खमि0	0.0570 में से 0.0319	कल्लर
				1061	0.0510	कल्लर
				958ख	0.1260	कल्लर

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
मेरठ	सरधना	बपरसा	बपरसा	49मि0	0.2190 में से 0.0390	ग्राम समाज सम्पत्ति
				50मि0	0.4210 में से 0.0130	ग्राम समाज सम्पत्ति
				50मि0	0.4210 में से 0.0051	ग्राम समाज सम्पत्ति
				50मि0	0.4210 में से 0.3790	ग्राम समाज सम्पत्ति
				42मि0	0.1650 में से 0.0510	ग्राम समाज सम्पत्ति
		सिवाया जमाउल्लापुर	सिवाया जमाउल्लापुर	410	0.0250	ग्राम समाज सम्पत्ति
				505मि0	0.0630 में से 0.0261	कल्लर
				1195मि0	0.0380	बंजर
				588मि0	0.0380	नई परती
				555	0.0380	कल्लर
		बपरसा	बपरसा	49मि0	0.2190 में से 0.1778	ग्राम समाज सम्पत्ति
				447	0.3060	ग्राम समाज सम्पत्ति
				42मि0	0.1650 में से 0.0630	
				42मि0	0.1650 में से 0.0010	
				42मि0	0.1650 में से 0.0500	
				योग ...	**1.9910**	

06 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 273/आठ-81/2022-2024–जिलाधिकारी हापुड़ के पत्रांक-1286/सात-डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 द्वारा ग्राम सभा, ग्राम पीपलाबन्दपुर, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ के खसरा संख्या-363, रकबा 0.0300 हे0 में से रकबा 0.0200 हे0 अर्थात 200 वर्गमीटर (नाली) व खसरा संख्या 374, रकबा 0.0250 हे0 में से 0.0045 हे0 अर्थात 45 वर्गमीटर (नाली) व खसरा संख्या-373 रकबा 0.0520 हे0 में से 0.0090 हे0 अर्थात् 90 वर्गमीटर (चकमार्ग) कुल रकबा 0.335 हे0 अर्थात 335 वर्गमीटर भूमि से आवेदक संस्था जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट 40 एडीशनल सिंहानी गेट गाजियाबाद की निजी भूमि स्थित ग्राम पीपलाबन्दपुर, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ के खसरा संख्या-361, रकबा 0.0420 हे0 अर्थात 420 वर्गमीटर भूमि के विनिमय की संस्तुति करते हुए उ0प्र0 राजस्व सहिंता, 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी हापुड़ के पत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण मण्डलायुक्त के कार्यालय आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा गठित समिति से कराया गया। जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा(2) सपठित धारा-101 की उपधारा(2) के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट 40 एडीशनल सिंहानी गेट गाजियाबाद की निजी भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा की भूमि स्थित ग्राम पीपलाबन्दपुर, परगना डासना, तहसील

धौलाना, जिला हापुड़ के खसरा संख्या-363, रकबा 0.0300 हे0 में से रकबा 0.0200 हे0 अर्थात 200 वर्गमीटर (नाली) व खसरा संख्या 374, रकबा 0.0250 हे0 में से 0.0045 हे0 अर्थात 45 वर्गमीटर (नाली) व खसरा संख्या-373 रकबा 0.0520 हे0 में से 0.0090 हे0 अर्थात 90 वर्गमीटर (चकमार्ग) कुल रकबा 0.335 हे0 अर्थात 335 वर्गमीटर का विनिमय जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट 40 एडीशनल सिंहानी गेट गाजियाबाद की निजी भूमि स्थित ग्राम पीपलाबन्दपुर खसरा संख्या-361, रकबा 0.0420 हे0 अर्थात 420 वर्गमीटर भूमि, जिसका मूल्य अंकन रुपये 25,20,000.00 है, के विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है–

1– उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन, विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2– जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट 40 एडीशनल सिंहानी गेट गाजियाबाद से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3– उप जिलाधिकारी धौलाना द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि रकबा 0.0420 हे0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।

4– विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी धौलाना द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5– आवेदक संस्था की निजी भूमि के मध्य आने वाले रकबा 0.0200 हे0 अर्थात 200 वर्गमीटर (नाली), 0.0045 हे0 अर्थात 45 वर्गमीटर (नाली) व 0.0090 हे0 अर्थात 90 वर्गमीटर (चकमार्ग) कुल रकबा 0.335 हे0 अर्थात 335 वर्गमीटर भूमि स्थित ग्राम पीपलाबन्दपुर का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित नाली/चकमार्ग की उपयोगिता समाप्त हों गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी।

6– लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

7– जिलाधिकारी हापुड़ कृत-कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संशोधित विज्ञप्ति

11 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 408/आठ-29/2012-2014–इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या-1730/आठ-29/2012-14 दिनांक 07 फरवरी, 2014 के माध्यम से जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3765/सात-डी0एल0आर0सी0-कले0गा0बाद/पुनर्ग्रहण दिनांक 29 अप्रैल, 2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर ग्राम सभा नूरनगर, परगना लोनी, तहसील सदर की कुल 14.6360 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु किया गया था। वर्तमान में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या-309/सात-डी0एल0आर0सी0-कले0गा0बाद/2023 दिनांक 08 दिसम्बर, 2013 के द्वारा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-622/12/भू0अ0अ0/2023 दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 के आधार पर ग्राम नूरनगर के गाटा संख्या-436, रकबा

1.0610 हे0 एवं 474 रकबा 0.4730 हे0, कुल 02 किता, कुल रकबा 1.5340 हे0 भूमि को पुनर्ग्रहण से पृथक् करते हुये संशोधित विज्ञप्ति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः ग्राम नूरनगर, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद की ग्रामसभा भूमि के पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या-1730/आठ-29/2012-14 दिनांक 07 फरवरी, 2014 को जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या-309/सात डी0एल0आर0सी0-कले0गा0बाद/2023 दिनांक 08 दिसम्बर, 2013 में किये गये अनुरोध के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 (4)(ग) एवं शासनादेश संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम नूरनगर के खसरा संख्या-436, रकबा 1.0610 हे0 एवं खसरा संख्या 474, रकबा 0.4730 हे0 कुल रकबा 1.5340 हे0 भूमि को संशोधन के माध्यम से पुनर्ग्रहण पृथक् किया जाता है।

शेष विज्ञप्ति पूर्ववत् रहेगी।

15 जनवरी, 2024 ई0

सं0 620/आठ-88/2022-2024–जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्रांक-1345/डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 द्वारा ग्राम सभा ग्राम दुल्हैरा, परगना व तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर की भूमि चकमार्ग के गाटा संख्या-194, रकबा 0.1090 हे0 में से 0.0400 हे0 व गाटा सं0 200, रकबा 0.0110 हे0, गाटा संख्या 205, रकबा 0.0780 हे0 में से 0.0620 हे0 व नाली के गाटा संख्या 201, रकबा 0.0050 हे0 व गाटा सं0 204, रकबा 0.0350 हे0 में से 0.0300 हे0 व गाटा सं0 214, रकबा 0.0470 हे0 इस प्रकार कुल रकबा 6 किता 0.1950 हे0 से आवेदक संस्था BUOYANT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 806, सिद्वार्थ, 96 नेहरू प्लेस नई दिल्ली सम्बद्ध (VIDYA GYAN) विद्यालय द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव पुत्र एम0पी0 श्रीवास्तव, निवासी फ्लैट संख्या-एस-1 प्लाट संख्या-730 सेक्टर 05 वैशाली गाजियाबाद की निजी भूमि स्थित ग्राम दुल्हैरा, परगना व तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के खाता संख्या-188, गाटा संख्या-31, रकबा 0.5290 हे0 में से 0.2440 हे0 भूमि के विनिमय की संस्तुति करते हुए उ0प्र0 राजस्व सहिंता, 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण मण्डलायुक्त के कार्यालय आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा गठित समिति से कराया गया। जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा(2) सपठित धारा-101 की उपधारा(2) के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके BUOYANT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 806, सिद्वार्थ, 96 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली सम्बद्ध (VIDYA GYAN) विद्यालय की निजी भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा की भूमि स्थित ग्राम दुल्हैरा, परगना व तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के चकमार्ग के गाटा संख्या-194 रकबा 0.1090 हे0 में से 0.0400 हे0 व गाटा सं0 200 रकबा 0.0110 हे0, गाटा संख्या 205 रकबा 0.0780 हे0 में से 0.0620 हे0 व नाली के गाटा संख्या 201 रकबा 0.0050 हे0 व गाटा सं0 204 रकबा 0.0350 हे0 में से 0.0300 हे0 व गाटा सं0 214 रकबा 0.0470 हे0 इस प्रकार कुल रकबा 6 किता 0.1950 हे0 का विनिमय BUOYANT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED की निजी भूमि स्थित ग्राम स्थित ग्राम दुल्हैरा, परगना व तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर .के खाता संख्या-188, गाटा संख्या-31, रकबा 0.5290 हे0 में से 0.2440 हे0, जिसका मूल्य अंकन रुपये 21,96,000.00 है, के विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है–

1– उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ -08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2– जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा BUOYANT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 806, सिद्वार्थ, 96 नेहरू प्लेस नई दिल्ली सम्बद्ध (VIDYA GYAN) विद्यालय से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3– उप जिलाधिकारी सिकन्दराबाद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि रकबा 0.2440 हे0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखांतेदार की आपत्ति न हो।

4– विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय मे प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी सिकन्दराबाद द्वारा वर्तमान प्रभावी संर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेगें।

5– विनिमय के सापेक्ष संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि का राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ही ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित संस्था को दिया जाये साथ ही संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।

6– विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा संस्था को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावति भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

7– आवेदक संस्था की निजी भूमि के मध्य आने वाले चकमार्ग के गाटा संख्या-194 रकबा 0.1090 हे0 में से 0.0400 हे0 व गाटा सं0 200 रकबा 0.0110 हे0, गाटा संख्या 205 रकबा 0.0780 हे0 में से 0.0620 हे0 व नाली के गाटा संख्या 201 रकबा 0.0050 हे0 व गाटा सं0 204 रकबा 0.0350 हे0 में से 0.0300 हे0 व गाटा सं0 214 रकबा 0.0470 हे0 इस प्रकार कुल रकबा 6 किता 0.1950 हे0 भूमि स्थित ग्राम दुल्हैरा का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित नाली/चकमार्ग की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी।

8– लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9– जिलाधिकारी बुलन्दशहर कृत-कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 630/आठ-89/2022-2024–जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्रांक-1361/डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 05 जनवरी, 2024 द्वारा ग्राम सभा ग्राम धरपा चूहरपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की भूमि गाटा संख्या-360, रकबा 0.0320 हे0 में से 0.0125 (नाली) व गाटा संख्या-361, रकबा 0.0980 हे0 में से 0.0375 हे0 (चकमार्ग) कुल 02 किता रकबा 0.0500 हे0 में से आवेदक संस्था प्रबन्धक वैद्य यज्ञदत्त शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय की निजी भूमि स्थित ग्राम धरपा चूहरपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के गाटा संख्या-364, रकबा 0.633 हे0 में से 0.0125 हे0 व गाटा संख्या-364, रकबा 0.633 हे0 में से 0.0375 हे० कुल 02 किता रकबा 0.0500 हे0 भूमि के विनिमय की संस्तुति करते हुए उ0प्र0 राजस्व सहिंता, 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 05 जनवरी, 2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण मण्डलायुक्त के कार्यालय आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा गठित समिति से कराया गया। जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा(2) सपठित धारा-101 की उपधारा(2) के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके आवेदक संस्था वैद्य यज्ञदत्त शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय, बुलन्दशहर की निजी भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा की भूमि स्थित ग्राम धरपा चूहरपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की भूमि गाटा संख्या-360, रकबा 0.0320 हे0 में से 0.0125 (नाली) व गाटा संख्या-361, रकबा 0.0980 हे0 में से 0.0375 हे0 (चकमार्ग) कुल 02 किता रकबा 0.0500 हे0 का विनिमय वैद्य यज्ञदत्त शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय की निजी भूमि स्थित ग्राम धरपा चूहरपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के गाटा संख्या-364, रकबा 0.633 हें0 में से 0.025 हे0 व गाटा संख्या-364, रकबा 0.633 हे0 में से 0.0375 हे0 कुल 02 किता रकबा 0.0500 हे0, जिसका मूल्य अंकन रुपये 3,20,000.00 है, के विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है–

1– उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ -08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2– जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा आवेदक संस्था प्रबन्धक वैद्य यज्ञदत्त शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय, बुलन्दशहर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा स्थानीय निकाय को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3– उप जिलाधिकारी खुर्जा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि रकबा 0.0500 हे0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।

4– विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय मे प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी खुर्जा द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5– विनिमय के सापेक्ष संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि का राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ही ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा संस्था को दिया जाये साथ ही संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जाये।

6– विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा संस्था को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावति भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

7– आवेदक संस्था की निजी भूमि के मध्य आने वाले गाटा संख्या-360, रकबा 0.0320 हे0 में से 0.0125 (नाली) व गाटा संख्या-361, रकबा 0.0980 हे0 में से 0.0375 हे0 (चकमार्ग) कुल 02 किता रकबा 0.0500 हे0 भूमि स्थित ग्राम धरपा चूहरपुर का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित चकमार्ग की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी।

8– लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9– जिलाधिकारी बुलन्दशहर कृत-कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 631/आठ-87/2022-2024–जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्रांक-1344/डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 द्वारा ग्राम सभा ग्राम धरपा चूहरपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की भूमि गाटा संख्या-367, रकबा 0.008 हे0 (चकमार्ग) से आवेदक संस्था वैद्य यज्ञदत्त शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय की निजी भूमि स्थित ग्राम धरपा चूहरपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के गाटा संख्या-364, रकबा 0.633 हे0 में से 0.008 हे0 भूमि के विनिमय की संस्तुति करते हुए उ0प्र0 राजस्व सहिंता, 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण मण्डलायुक्त के कार्यालय आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा गठित समिति से कराया गया। जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की घारा-77 की उपधारा(2) सपठित धारा-101 की उपधारा(2) के परन्तु में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके आवेदक संस्था वैद्य यज्ञदत्त शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय, बुलन्दशहर की निजी भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा की भूमि स्थित ग्राम धरपा चूहरपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की भूमि गाटा संख्या-367, रकबा 0.008 हे0 (चकमार्ग) का विनिमय वैद्य यज्ञदत्त शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय की निजी भूमि स्थित ग्राम धरपा चूहरपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के गाटा संख्या-364, रकबा 0.633 हे0 में से 0.008 हे0, जिसका मूल्य अंकन रु0 51,200.00 है, के विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है–

1– उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ -08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2– जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा वैद्य यज्ञदत्त शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय, बुलन्दशहर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3– उप जिलाधिकारी खुर्जा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि रकबा 0.008 हे0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।

4– विनिमय में दी जाने वाली भूमि एंव विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी खुर्जा द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5– विनिमय के सापेक्ष संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि का राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ही ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा संस्था को दिया जाये साथ ही संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जाये।

6– विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा संस्था को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावति भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

7– आवेदक संस्था की निजी भूमि के मध्य आने वाले चकमार्ग की भूमि गाटा संख्या-367, रकबा 0.008 हे0 भूमि स्थित ग्राम धरपा चूहरपुर का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की शपथ-पत्र के साथ अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित चकमार्ग की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी।

8– लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9– जिलाधिकारी बुलन्दशहर कृत-कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सेल्वा कुमारी जे0,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पी0एस0यू0पी0–4 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 अप्रैल, 2024 ई० (वैशाख 07, 1946 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर निगम, शाहजहाँपुर

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए उपविधि

14 मार्च, 2024 ई0

सं0 773/ज0क0वि0/न0नि0-शाह0/2023-24—फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबन्धन के लिये उपविधि तैयार कर सदन की बैठक में रखने के लिये मां0 महापौर महोदया द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके उपरान्त उपविधि को प्रस्ताव सं0-08 दिनांक 23 सितम्बर, 2023 को सदन की बैठक में रखा गया। दिनांक 23 सितम्बर, 2023 को सदन की बैठक में उपविधि का प्रस्ताव सं0-08 की उसी रूप में सर्वसहमति से स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके प्रकाशन हेतु कार्यालय पत्रांक-374/पी0आर0ओ0/ज0क0वि0/न0नि0-शाह0/23-24 दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में दिनांक 24 दिसम्बर, 2023 एवं दैनिक जागरण में दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित कराया गया। प्रकाशन में नगर वासियों से एक माह के अन्दर आपत्ति प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था। फ़ीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबन्धन हेतु चार नगर वासियों द्वारा लिखित आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा शत प्रतिशत करा दिया गया है। यह उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

नियमावली

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑन साइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकार– ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019

(ख) फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017

(ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013

(घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉय मेंटऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयररिहैबिलिटेशन ऐक्ट-2013

(च) आईएसकोड 2470 भाग I और II, 1985 (1996 रीअफ़र्म्ड)-सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता

(छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू0पी0 जलआपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलआपूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)–ये उपविधि नगर निगम, शाहजहाँपुर की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हित धारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफ़ाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय भवनों पर लागू होगा।

प्रारंभिक–

1–संक्षेप–शीर्षक, विस्तार और आरंभ–

(I) इन उपविधियों को नगर निगम, शाहजहाँपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2023 कहा जा सकता है।

(II) ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर निगम, शाहजहाँपुर क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2–परिभाषा–

"एक्सेसकवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो।

"अपेलेटबॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और/या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है।

"फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट" उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फ़ीकल स्लज और सेप्टेज (FSSM) का भी उपचार किया जाता है।

"को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फ़िकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो,

"विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली" का तात्पर्य ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं।

"नियुक्त अधिकारी" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

"डिस्लजिंग" का तात्पर्य है लाइसेंस धारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया।

"निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहनय

"एफ्लूयंट" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव)

"फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑन साइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री

"फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;

"ग्रेवाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नान घर का पानी हो सकता है

"होस्ट यू एल बी" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय 'होस्ट' बना रहेगा

"ईन सैनिटरी लेट्रिन्स" का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढ़ोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है।

"लाइसेंस" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है।

"लाइसेंस प्राप्तऑपरेटर" (लाइसेंसधारी) का अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो

"अधिसूचित स्थान" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान।

"ऑन साइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखंड परस्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं।

"ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।

"मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो।

"व्यक्ति" का तात्पर्य एक एसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं।

"सैनिटरी लेट्रिन्स" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मल मूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशा निर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो।

"सेप्टिक टैंक" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

"शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

"सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

"सीवेज" का अर्थ है ब्लैक और ग्रेपानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

"सीवर" वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइपलाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

"सीवेज पम्पिंग स्टेशन" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

"सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

"निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

"परिवहन या ढुलाई" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

"उपचार" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मलजल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियो लॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया ।

"उपचार सुविधा" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशा निर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फ़ीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल।

"यूएलबी क्लस्टर" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकट यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफ एस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

"निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)" ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

"अपशिष्ट जल (वेस्टवॉटर)/यूज्ड वॉटर" का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

"कर्मी" का अर्थ है लाइसेंस धारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आम तौर पर समझा जाता है।

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3– **परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण**– निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूद या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्–

(I) यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कराकर करे।

(II) अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

(III) यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

(IV) वे परिपत्तियाँ जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक होगा। तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

ऑन साइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4–**मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन**–निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे–

(I) उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख रखाव करेंगे।

5–**ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव**–

(I) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर निगम, शाहजहाँपुर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

(II) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

(III) परिसर का मालिक नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा।

(IV) परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

(V) परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर निगम, शाहजहाँपुर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ़ किया जाता है और हाथ से सफ़ाई ना हो।

(VI) नियमों के पालन के लिए नगर निगम, शाहजहाँपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर निगम, शाहजहाँपुर समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

(VII) नगर निगम, शाहजहाँपुर अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6–निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस–

(I) नगर निगम, शाहजहाँपुर वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(II) नगर निगम, शाहजहाँपुर अपने कर्मियों सहित ओपेरटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गति विधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

(III) जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-3) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

(IV) नगर निगम, शाहजहाँपुर ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

(V) इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-4) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द न हीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि

समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7– **लाइसेंस जारी करने की शर्तें**–

(I) लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

(II) आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

(III) नगर निगम, शाहजहाँपुर में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा।

(IV) आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर निगम, शाहजहाँपुर के साथ पंजीकृत करेगा।

(V) आवेदक का यह उत्तर दायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

(VI) आवेदक का यह भी उत्तर दायित्व होगा कि नगर निगम, शाहजहाँपुर या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

(VII) आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपकरण और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपनविधि के परिशिष्ट-2 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8–**लाइसेंस के लिए आवेदन**–फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-3 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फ़ॉर्म-2, परिशिष्ट-4)।

9–**लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण**–लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10– **लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क**– नए निजी ऑपरेटरों (फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1– **पंजीकरण के शुल्क और वैधता**–

(I) ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 2,500.00 ।

(II) **पंजीकरण की वैधता**–पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 1 वर्ष तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(III) लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,500.00 ।

11–**लाइंसेस धारी ऑपरेटर का विज्ञापन**–नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12–**जागरुकता अभियान**–इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13–संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेस धारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा–

(I) भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर निगम, शाहजहाँपुर के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

(II) मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-5 देखें)।

14– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क–

(I) सेप्टिक टैंक खाली कराने का शुल्क रु0 1,000.00 प्रति ट्रिप।

(II) समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(III) शहर में जब कभी नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फ़ैसला किया जाता है, तो फ़ीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जलकर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(IV) लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(V) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन–

(I) फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर निगम, शाहजहाँपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

(II) आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

(III) डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

(IV) ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर निगम, शाहजहाँपुर वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(V) वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "SEPTIC TANK WASTE" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

(VI) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार नगर आयुक्त और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16–**ढुलाई के दौरान सावधानी**– लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17–**दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय**– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18–**दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस धारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी**– किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंस धारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19–**नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय**– हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर ज़िम्मेदार होगा।

20–**फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण**–

(I) लाइसेंस धारी ऑपरेटर नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(II) लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-5 देखें)।

(III) होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21– निकाय के अधिकार–

(I) निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 6, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।

(II) नगर निगम, शाहजहाँपुर होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(III) नगर निगम, शाहजहाँपुर वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

(IV) संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा किया जाएगा।

(V) होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

(VI)एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्टयूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22–**कर्मियों का प्रशिक्षण**– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फ़ीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

23–**कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच**– यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंस धारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

24–**बीमा**– लाइसेंस धारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

25–**लाइसेंस रद्द किया जाना**– इन उप विधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंसधारी ऑपरेटर समय-समय पर

अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

26–**उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान**– नगर निगम, शाहजहाँपुर उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर निगम, शाहजहाँपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

27–**फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण**– नगर निगम, शाहजहाँपुर जरूरी आधार भूत ढांचा तैयार करेगा और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

28–**फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति**– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा।

29–**फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय**– नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

30–**औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है**– अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

31–**फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण**– नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

32–**उपचारित फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल**– निकाय किसानों को अनुपचारित फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

प्रशासन और प्रवर्तन

33–**प्रशासन और प्रवर्तन**–

(I) इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त, शाहजहाँपुर द्वारा विधिवत अधिकृत अधिकारी के पास रहेंगी।

(II) नगर निगम, शाहजहाँपुर फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय–समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजरफीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

(III) नगर निगम, शाहजहाँपुर शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(IV) नगर निगम, शाहजहाँपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

34–**जांच के लिए विशेष शक्ति**– इन उप विधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर निगम, शाहजहाँपुर के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

35–**नियम उल्लंघन और जुर्माना**–

(I) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

(II) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति– (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(III) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-7 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एफएसएस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(IV) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-7 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

(V) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

36–**अपील**– निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-8 देखें)

37–**विवाद समाधान उपविधि**– इन उप विधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर निगम, शाहजहाँपुर के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

38–**फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन**– मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

39–**संदर्भ प्रलेख**– उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट–9 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

40–**डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार**– अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

41–**उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश**– इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट–1

(खंड 2 (xxxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बी आईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मल जल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आम तौर पर काले पानी के लिए ही हाइ लाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

- आयताकार– लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से 4
- गहराई– 1.0 से 2.5 मी0 के बीच
- दो कक्ष– पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3
- तीन कक्ष– पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा
- मशीन–छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लंबाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल दो वर्ष)
1	2	3	4
	मीटर–	मीटर–	मीटर–
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट– सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2–फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत–सीवरेज और मल जल उपचार पर मैनुअल– भाग ए, इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुए है–

- **अवसादन (सेडीमेंटेशन)**– निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्गमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।

- **फीकल स्लज डाइजेशन**–डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।

- **फीकल स्लज और मल भंडारण**– फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073$ m3/कैपिटा की आवश्यकता होती है।

- फ्री बोर्डः कम से कम 0.3 मी0

परिशिष्ट–2

(खंड– 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए–

(i) शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

(ii) शरीर की रक्षासज्जा/सुरक्षाबेल्ट

(iii) सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

(iv) सेफ्टी टॉर्च

(v) भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

(vi) संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

(vii) टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है

(viii) दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयर प्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता हैं

(ix) आपात कालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट Q

(x) गैस मॉनीटर

(xi) हेड लैंप

(xii) गाइड पाइप सेट

(xiii) सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

(xiv) वेडरबूट

(xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

(xvi) मॉड्यूलर एयर लाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

(xvii) रेनकोट

परिशिष्ट–3

(खंड 6(iii) और 8 देखें)

नगर निगम, शाहजहाँपुर

Registration form for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइजफोटो चिपकाएं

फ़ॉर्म 1–निकाय नगर निगम, शाहजहाँपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन पत्र–

1– आवेदक का नाम (श्री/सुश्री)– .....

2– पता–.....

.....

3– पंजीकृत कार्यालय का पता– .....

.....

.....

4– टेलीफोन नंबर– (कार्यालय) .....

(मो0)– ..... ईमेल आईडी– .....

6–

12

सं0 नं0	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर–माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
i-						
ii-						
iii-						
iv-						

7– लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद ..... (रसीद संख्या)

8– संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व–प्रमाणित प्रति) (हां /नहीं)–

दस्तावेज के प्रकार (हां /नहीं)	दस्तावेज के प्रकार (हां /नहीं)	दस्तावेज के प्रकार (हां /नहीं)
पहचान प्रमाण	पता प्रमाण	कर्मचारियों की सूची
पंजीकरण प्रमाण-पत्र	फिटनेस सर्टिफिकेट	बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र
प्रदूषण प्रमाण-पत्र	ड्राइविंग लाइसेंस	पासपोर्ट साइज फोटो

अनुलग्नकों की कुल संख्या–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

दिनांक– .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें–

1–फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2-निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्ति धारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3-फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4-लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5-फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6-अनुज्ञप्ति धारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7-फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8-वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "SEPTIC TANK WASTE" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9-निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 09.00 AM से 06.00 PM तक फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10-प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंस धारी जिम्मेदार होगा।

11-उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंस धारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट–4

(खंड 6(v) और 8 देखें)

लाइसेंस प्रारूप

नगर निगम, शाहजहाँपुर

नगर निगम, शाहजहाँपुर में फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज मल–कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइजफोटो चिपकाएं

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है–

1–आवेदक का नामः (श्री/सुश्री): .....

2–पत्राचार का पताः .....

.....

.....

3–नगर निगम, शाहजहाँपुर का नाम) में फ़ीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्या–.....
.....

4–मान्यता ..... से ..... तक

5–वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबर– (i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें–

1–फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2-निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्ति धारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3-फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4-लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5-फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक

छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6-अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7-फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8-वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "SEPTIC TANK WASTE" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9-निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 09.00 AM से 06.00 PM फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10-प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंस धारी जिम्मेदार होगा।

11-उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंस धारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट–5

(खंड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3– फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड–

नगर निगम, शाहजहाँपुर में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए दिनांकः ..... समयः .....

I– ऑन साइट सिस्टम के मालिक का विवरण–

1– नाम–.....

2- पता– .....

.....

(क) वार्ड संख्या– ..... (क) टेलीफोन नं–.....

II– रोकथाम–

1– निर्माण का वर्ष .....

2– पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY)– .....

3– आउट लेट मौजूद (हां/नहीं)– .....

4– यदि हां, तो किस से जुड़ा है– .....

5– रोकथाम के प्रकार– (चेक बॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)–

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंकट्विन		ट्वीनपिट (पंक्तिबध)	
संग्रह टैंक		ट्विनपिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटेटैंक	
सिंगलपिट (लाइनेड)		सिंगलपिट (अनलाइन)	

6- रोकथाम का आकार और नियंत्रण का प्रकार टिक करें–

7- संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेक बॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)–

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III– कीचड़ साफ़ करना–

1- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर)– .....

2- कीचड़ निकालने में लगने वाला समय– .....

3- ट्रिप की लंबाई (किमी)– .....

4- आने-जाने में समय– .....

III– कीचड़ साफ़ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण–

ऑपरेटर का नाम– .....

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSTP ऑपरेटर– .....

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–6

(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4–

"होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु नगर निगम, शाहजहाँपुर और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म।

फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्स वाई जेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्टयूएलबी" नगर निगम, शाहजहाँपुर के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथमपक्ष "होस्टयूएलबी" नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वितीय पक्ष "एक्सवायजेड यूएलबी" (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)–

उपबंध–

1- यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)।

2- "प्रथम पक्ष "अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3- यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 ..... देने के लिए सहमत है।

4- यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5- कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्द पूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6- कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंस धारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंस धारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम नगर आयुक्त, हस्ताक्षर	द्वितीय पक्ष, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, हस्ताक्षर

परिशिष्ट–7

(खंड 35 देखें)

जुर्माना और फाइन–

क्रम संख्या	विवरण	खंड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा (रु0 में)	जुर्माना (रु0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50–100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50–100	

1	2	3	4	5
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10–15 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100–150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100–150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10–15 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50–100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50–100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150–200 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर–अनुपालन	16, 17	1,000–1,500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000–1,500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित *FSS* प्रवाहित करना	27, 28, 33	5,000–10,000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000–10,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000–1,500 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–10,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–10,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500–2,000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

नोट– निकाय समय-समय पर ऊपर दिये गये जुर्माना को संशोधित कर सकता है।

परिशिष्ट–8

अपील हेतु ज्ञापन

(खंड 36 देखें)

फॉर्म 5– अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास (पदनाम)

1- आवेदक का पूरा नाम– .....

2- आवेदक का पता– .....

.....

.....

3- नगर आयुक्त, शाहजहाँपुर का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई–

नाम– ..... पद– .....

4- उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई– .....

.....

5- अपील दायर करने की तारीख– .....

6- सूचना विवरण–

क– संक्षेप में अपील की विषय–वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)–

.....

.....

.....

ख– अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)–

.....

.....

.....

सत्यापन

मैं, ... (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी .... एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान– ..... तिथि– .....

अनुलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख–

1– .....

2– .....

– – – – – – – – – – – – – – – – – – यहाँ फाड़ें – – – – – – – – – – – – – – – – – –

पावती

संख्या– ..... तिथि– .....

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन .....

स्थान– ..... तिथि– .....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर
आदेश से नगर निगम, शाहजहाँपुर

परिशिष्ट–9

(खंड 49 देखें)

संदर्भित दस्तावेज

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

1- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916

2- उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

3- बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।

4- सलाहकार नोटःशहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

5- उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

6- एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तरप्रदेश

7- आईएस– 2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,

(क)– (भाग I) डिजाइन शर्तें और निर्माण

(ख)– (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।

8- सीवरेज और मल जल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

9- बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।

10- फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

11- राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12- फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।

13- फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।

14- तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।

15- सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।

16- सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

17- फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली

18- प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन

एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
शाहजहाँपुर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि कि मेरी माता का सही नाम मन्जू वर्मा है, जो उनके आधार कार्ड, शैक्षिक अभिलेख, निवास प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल वर्ष 2016 के अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक-5068948) में मेरी माता का नाम माया वर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। रिषभ वर्मा पुत्र अनिल वर्मा, मो0 चकप्यारअली पोस्ट सदर, जिला-जौनपुर।

रिषभ वर्मा पुत्र अनिल वर्मा,
मो0 चकप्यारअली पोस्ट सदर,
जिला-जौनपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड सं0-9255 7477 2764 में मेरा नाम त्रुटिवश एन एल कश्यप (N. L. KASHYAP) दर्ज हो गया है। जबकि हाईस्कूल मार्कशीट में मेरा नाम नत्थू लाल (NATHOO LAL) दर्ज है। जो कि सही है भविष्य में इसी नाम से जाना जाये। नत्थू लाल पुत्र श्री तारा चन्द्र निवासी-टी-25 शास्त्री नगर इज्जत नगर, बरैली-243122।

नत्थु लाल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शिक्षा शर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। परन्तू त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड (आधार नं0-2474 8060 0635) में उसका नाम शिखा शर्मा अंकित हो गया है जो गलत है। मेरी पुत्री का सही नाम शिक्षा शर्मा पुत्री राकेश शर्मा है।

राकेश शर्मा,
पुत्र स्व0 ओम प्रकाश शर्मा,
नि0 13/14, महिला ग्राम,
प्रयागराज, उ0प्र0–211001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स पीतम गोविन्द इण्डेन सेवा, दिल्ली रोड, बडौत, जिला बागपत–250611 की संशोधित साझीदारी दिनांक 15 मार्च, 2021 के अनुसार श्री देवेन्द्र सिंह मलिक, श्रीमती स्वेता एवं श्री नवीन कुमार जैन साझीदार थे। दिनांका 23 मार्च, 2024 को श्री देवेन्द्र सिंह मलिक साझीदारी से अपना हिसाब–किताब ले देकर अलग हो गये है। संशोधित साझीदारी दिनांक 23 मार्च, 2024 के अनुसार श्रीमती स्वेता एवं श्री नवीन कुमार जैन साझीदार है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

स्वेता
साझीदार
मेसर्स पीतम गोविन्द इण्डेन सेवा,
दिल्ली रोड, बडौत, जिला बागपत–250611।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म हरजस हॉस्पिटलिटी पता सी 20/1 नॉलेज पार्क थर्ड ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्वनगर उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की साझेदारी दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को हुई थी जिसमें हम क्रम से दो पार्टनर थे। 1. श्री जसमीत सिंह पुत्र श्री गुरूचरण सिंह 2. श्री गुरूचरण सिंह पुत्र श्री ईशार सिंह थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 की संशोधित साझेदारीनामा के अनुसार साझेदार 2. श्री गुरूचरण सिंह पुत्र श्री ईशार सिंह जी स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना देना बकाया नही है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को नये साझेदार श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री गुरूचरण सिंह जी सर्वसहमती से इस फर्म में नये साझेदार आये है। तथा अब इस फर्म में अब क्रम से दो पार्टनर हो गये है। 1. श्री जसमीत सिंह पुत्र श्री गुरूचरण सिंह 2. श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री गुरूचरण सिंह जी हो गये है।

जसमीत सिंह,
साझेदार।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेंसर्स ''जाहिद हुसैन कोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल'', ग्राम बिछौली चंदौसी रोड, जिला सम्भल (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 19 जुलाई, 2017 को जाहिद हुसैन का देहान्त तथा दिनांक 06 जून, 2020 को अनवर कमाल का देहान्त हो गया है तथा दिनांक 19 जुलाई, 2017 को श्री मौ0 हिलाल पुत्र अनवर कमाल शामिल हो गये है तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्रीमती दिलवरी बेगम, मो0 जमाल व मौ0 हिलाल रह गये है।

श्रीमती दिलवरी बेगम,
पार्टनर,
फर्म मेंसर्स ''जाहिद हुसैन,
कोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल'',
ग्राम बिछौली चंदौसी रोड,
जिला सम्भल (यू0पी0)।

सूचना

सूचित हो कि मेरे पुत्र का सही नाम रूद्रांश प्रताप सिंह है परन्तु त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5038 8603 1927 में घर का नाम मीत सिंह अंकित हो गया।

अतः भविष्य में मेरे पुत्र को रूद्रांश प्रताप सिंह पुत्र श्री नवीन सिंह निवासी–12/348 इन्द्रानगर लखनऊ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

नवीन सिंह,
पुत्र स्व0 चन्द्र भूषण सिंह,
निवासी–12/348 इन्द्रानगर लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म ''मेसर्स ठाकुर लाल मणि सिंह ट्रानसपोर्ट, मो0 अजीतनगर, तह0–सदर, जिला–प्रतापगढ़'' के दो भागीदार अनूप प्रताप सिंह का दिनांक 24 जनवरी, 2011 तथा अजीत प्रताप सिंह का दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को निधन हो गया है। अब फर्म में श्रीमती प्रतिमा सिंह तथा श्रीमती अंजू सिंह कुल दो भागीदार हैं जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः प्रतिमा सिंह का 50 प्रतिशत तथा अंजू सिंह का 50 प्रतिशत होगा। फर्म के मृतक दोनों भागीदारों का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन देन तथा दायित्व शेष नहीं हैं।

भागीदार,
श्रीमती प्रतिमा सिंह।

सूचना

एत्तद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स–होटल राजस्थान, 225, समर विहार कालोनी, आलमबाग जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें दिनांक 07 मार्च, 2024 से फर्म का पता परिवर्तन कर नया फ्लैट नं0 टाईप–1, प्रथम तल पितृ छाया अपार्टमेन्ट, इन्द्रलोक कालोनी, जिला– लखनऊ कर दिया गया है। जिसकी सूचना दी जा रही है।

बनवारी लाल भीमसारिया
साझेदार
मेसर्स–होटल राजस्थान,
लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म मेसर्स होटल प्रदीप स्थित C-27/153 जगतगंज वाराणसी में श्री प्रदीप नारायण सिंह व श्रीमती रेनू सिंह पहले से साझेदार है। अब दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से श्री वैभव कुमार सिंह पुत्र श्री प्रदीप नारायण सिंह बतौर हैसियत साझेदार के लिए शामिल हो गए है। अतः दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उपरोक्त साझेदारी फर्म के संविधान में परिवर्तन हो गया है। अब उपरोक्त साझेदारी फर्म में निम्नलिखित साझेदार हो गए है।

01-प्रदीप नारायण सिंह पुत्र स्व0 जय नारायण सिंह,

02-श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री प्रदीप नारायण सिंह,

03-वैभव कुमार सिंह पुत्र श्री प्रदीप नारायण सिंह,

प्रदीप नारायण सिंह
पार्टनर मेसर्स होटल प्रदीप

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सूर्या खैरवार पुत्र पवन खैरवार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में भी अंकित है। त्रुटिवश पुत्र के आधार कार्ड सं0–9478 8332 5569 में उसका नाम ऋहयान्स खैरवार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को सूर्या खैरवार पुत्र पवन खैरवार के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पवन खैरवार पुत्र नारायण खैरवार,
निवासी–ग्राम भीमपुर पो0 ब्राह्मनपुर,
जिला जौनपुर, उ0प्र0 पिन नं0–222148।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 श्री राधा कृष्ण शीतगृह 21/18 फ्रीगंज, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि उक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को श्रीमती निधि बंसल पत्नी श्री अतुल कुमार बंसल तथा श्री प्रेरक बंसल पुत्र श्री अतुल कुमार बंसल निवासीगण–401 अनुपम रॉयल अपार्टमेन्ट विजय नगर कॉलोनी, आगरा को उक्त फर्म में नये भागीदारों के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को फर्म की पूर्व द्वितीय साझेदार श्रीमती नीरू बंसल पत्नी श्री अमित बंसल निवासी–21/18 फ्रीगंज, आगरा फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गयी है। दिनांक 01 जनवरी, 2024 से श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री राजपाल शर्मा श्रीमती लतेश देवी पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा निवासीगण–नादऊ, जलेसर रोड, आगरा तथा श्री मुन्ना लाल शर्मा पुत्र श्री मनीराम शर्मा निवासी– ग्राम गढ़ी गुसांई, धिमिश्री, आगरा को उक्त फर्म में नये भागीदारों के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है।

अब फर्म में श्री अतुल कुमार बंसल, श्रीमती निधि बंसल, श्री प्रेरक बंसल, श्री विनोद कुमार शर्मा, श्रीमती लतेश देवी तथा श्री मुन्ना लाल शर्मा भागीदार हो गये है।

अतुल कुमार बंसल
भागीदार
में0 श्री राधा कृष्ण शीतगृह 21/18,
फ्रीगंज, आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 प्रज्ञा कन्स्ट्रक्शन, 8/153/8 डी न्यू लॉयर्स कॉलोनी, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि फर्म के प्रथम साझेदार श्री मखेन्द्र सिंह पुत्र, स्व0 प्रीतम सिंह निवासी–8/153/6 डी न्यू लॉयर्स कॉलोनी, आगरा का दिनांक 08 मार्च, 2024 को निधन हो जाने के कारण उनके स्थान पर तद्दिनांक को श्री कौशलेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री मखेन्द्र सिंह चौहान निवासी–8/153/6 डी न्यू लॉयर्स कॉलोनी, आगरा को उक्त फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। अब फर्म में श्रीमती शोभा चौहान तथा श्री कौशलेन्द्र सिंह चौहान साझेदार है।

शोभा चौहान,
साझेदार
मे0 प्रज्ञा कन्स्ट्रक्शन, 8/153/8 डी,
न्यू लॉयर्स कॉलोनी, आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझीदारी फर्म में0 बी0 आर0 एण्टरप्राईजेज, ई–39, ई–40 हाथरस रोड, फाउण्ड्री नगर, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्री रामरतन मित्तल पुत्र स्व0 बैजनाथ प्रसाद मित्तल निवासी–बी–625 कमला नगर आगरा, श्री जीवन लाल मित्तल पुत्र स्व0 बैजनाथ प्रसाद मित्तल निवासी–बी–650 कमला नगर आगरा तथा श्री शुभम मित्तल पुत्र श्री राकेश कुमार मित्तल निवासी–बी–648 कमला नगर आगरा फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हो गये हैं दिनांक 01 जुलाई, 2022 को श्रीमती मीरा मित्तल पत्नी श्री रामरतन मित्तल निवासी–बी–625 कमला नगर आगरा तथा श्रीमती मीरा देवी मित्तल पत्नी श्री जीवन लाल मित्तल निवासी–बी–650 कमला नगर आगरा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गई है। दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 को श्री हर्ष मित्तल पुत्र श्री राकेश कुमार मित्तल निवासी–बी–648 कमला नगर आगरा फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हो गये हैं तथा उक्त दिनांक को ही श्री रामरतन मित्तल पुत्र स्व0 बैजनाथ प्रसाद मित्तल निवासी–बी–625 कमला नगर आगरा, तथा श्री जीवन लाल मित्तल पुत्र स्व0 बैजनाथ प्रसाद मित्तल निवासी–बी–650 कमला नगर आगरा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये है। वर्तमान में फर्म में श्री राकेश कुमार मित्तल, श्री शुभम मित्तल, तथा श्री हर्ष मित्तल साझेदार है।

राकेश कुमार मित्तल,
मे0 बी0आर0 एण्टरप्राईजेज,
ई–40 फाउण्ड्री नगर, आगरा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स New Parmar Granite, Vill. Baghwa, Kabrai, District Mahoba, UP-210424 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1- Avnish Kumar Singh Parmar
2- Rajesh Singh
3- Shivani Singh
4- Uma Singh
5- Vikram Singh

जिसमें दिनांक 05 फरवरी, 2024 को Rajesh Singh, Uma Singh, Shivani Singh, Vikram Singh अपनी स्वेच्छा से प्रथक हो रहे है एवं उनके स्थान पर Sandeep Kumar Mishra शामिल हो रहे है।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

Avnish Kumar Singh Parmar,
साझेदार मेसर्स,
New Parmar Granite,
Vill. Baghwa, Kabrai,
District Mahoba, UP-210424।

NOTICE

I MURLI MANOHAR CHAWLA S/o Late. KRISHNA LAL CHAWLA TN No.-6587, Rank-P/M, R/o 36C, Krishna Nagar, Kydganj, Allahabad. In my service record my name is wrongly mentioned as MURALI MANOHAR CHAWLA as per Aadhar Card & other Educational documents my correct name is MURLI MANOHAR CHAWLA. Therefore it is necessary in the justice register my correct name MURLI MANOHAR CHAWLA. Affi. No. IN UP13221224426261W date-02.04.2024.

MURLI MANOHAR CHAWLA.

NOTICE

In the co-mark sheet of the affidavit of High School year 2007 Roll Number 2636182, Km. MANISHA SINGH YADAV has been written, which is wrong. The correct name is Km. MAMITA KUMARI. This should be recorded in the certificate. While it is correctly recorded in the Intermediate Certificate. Km. MAMITA KUMARI daughter of Ramjeet Ram, Village-Ismailpur *urf* malipur, District-Ghazipur.

KM. MAMITA KUMARI,
Daughter of RAMJEET RAM,
Village-Ismailpur urf Malipur,
District-Ghazipur (U.P.).

पी0एस0यू0पी0—4 हिन्दी गजट—भाग 8—2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।